खण्ड १—अंक २

मंगलवार ९ मई, १९६१
१९ वैशाख, १८८३ (शक)

संसद् के सदनों की संयुक्त बैठक

वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में) चार शिलिंग (विदेश में)

डा० रविन्द्र नाथ टैगोर को श्रद्धांजलि ४५

दहेज निषेध विधेयक ४५– ८७

संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव

श्री जयपाल सिंह ४५-४६

श्रीमती पुष्पलता दास ४६

आचार्य कृपालानी ४६–४७

श्रीमती सावित्री निगम ४८

श्रीमती पार्वती कृष्णन ४८–४९

श्रीमती टी० नल्लामुत्तु रामामूर्त्ती. ५०

श्री न० रा० मुनिस्वामी. ५०-५१

श्री तजम्मुल हुसैन ५१–५२

श्री खाडिलकर ५२–५३

ज्ञानी जैल सिंह ५३–५४

श्री बी० डी० खोबरागढ़े ५४–५५

पंडित ब्रजनारायण ब्रजेश ५५–५९

श्री भूपेश गुप्त ५९–६०

श्रीमती कृष्णा मेहता . . . . . . ६०—६२

श्री गोरे ६२–६३

श्रीमती शारदा भार्गव . . . . . . ६३—६५

श्रीमती मफीदा अहमद ६६

डा० डब्ल्यू एस० बार्लिंगे. ६६

श्री नि० बि० माइति ६६–६७

श्री शीलभद्र याजी ६७–६८

श्री अ० कु० सेन . . . . . . ६८—७५

खंड २, ४, १, ३ और ५ से १० . . . . ७५–८६

पारित करने का प्रस्ताव ८६

श्री अ० क० सेन ८७

संसद् के सदनों की संयुक्त बैठक

मंगलवार, ९ मई, १९६१/१९ वैशाख, १८८३ (शक)

संसद् भवन के केन्द्रीय हाल में संसद् के सदनों की संयुक्त बैठक ११ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

डा० रवीन्द्र नाथ टैगोर को श्रद्धांजलि

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य गण, कल डा० रवीन्द्र नाथ टैगोर की जन्म शताब्दी थी। यह हमारा सौभाग्य है कि उनका चित्र इस हाल में लगा हुआ है। वह हमारे देश के महान कवि, दार्शनिक, कलाकार, संगीतज्ञ, और बड़े प्रतापी विद्वान थे। इतनी विशेषताएं एक व्यक्ति में होना बड़ा कठिन है उन्हें उपनिषद भावना का प्रतीक कहा जा सकता है। वह समस्त संसार में एक ही आत्मा को रमी हुई देखते थे। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना कर और महर्षियों जैसे काम किये। हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी शिक्षा हमारा मार्ग प्रशस्त करे।

दहेज निषेध विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब दहेज रोक विधेयक पर विचार जारी रहेगा।

†**श्री भूपेश गुप्त** (पश्चिम बंगाल) : श्रीमान्, खंड ४ के बारे में श्री हजरनवीस ने जो संशोधन रखा है उस पर पूरी चर्चा होनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य को अवसर दूंगा। श्री जयपाल सिंह।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : शनिवार को मैंने कहा था कि मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। वस्तुतः हम भारतीयों की परम्पराएं अनोखी हैं। हमारे समाज में जागृति नहीं है। इस लिए इस प्रकार के कानून से सामाजिक सुधार नहीं हो सकता। इस कानून से कानून को ही घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगेगा। अब तक ऐसे अनेक कानून असफल हो चुके हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जयपाल सिंह]

श्री मोरारजी देसाई ने बम्बई में मद्यनिषेध का कानून लगाया था। इस के बाद भी वहां पर शराब बन्द नहीं हुई। उल्टा लोग बेइमानी करने लगे हैं। इसलिये जब तक जनता का समर्थन प्राप्त न हो, सफलता नहीं मिल सकती। आपने देखा होगा कि पहले बचपन की शादी को रोकने का कानून बना था, किन्तु आज के युवक को यह बताने की जरूरत नहीं कि बचपन की शादी खतरनाक होती है। समाज सुधार के कामों को जागृति लाकर ही किया जाना चाहिये। इस विधेयक का आदिवासियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः इस को कानून बनाने से पहले आपको काफी विचार करना चाहिये।

†**श्रीमती पुष्पलता दास** (आसाम): श्रीमान्, मैं व्याख्या संख्या १ के बारे में सहमत नहीं हूं। उस से विधेयक का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। हमारे राज्य में दहेज लेना या देना दोनों पाप समझे जाते हैं। असम में लड़कियों का काफी अभाव है और उसका कारण यह है कि वहां भी लड़कियां काम करती हैं। हिन्दू समाज में प्राचीन काल से नारी का काफी सम्मान रहा है। और पति से रहित माताओं को भी हमारे समाज में मान्यता मिली है। द्रोणाचार्य जैसे महा-पुरुषों ने अविवाहित स्त्रियों की संतानों को शिक्षा दी है। जब जाबाली द्रोणाचार्य के पास शस्त्र सीखने के लिये गये तो उससे उसका गोत्र पूछा गया। जाबाली को अपना गोत्र मालूम नहीं था। उसकी माता ने बताया कि जब वह यौवना हुई तो उसे संतान की इच्छा हुई और उस ने अनेक युवकों से संपर्क बनाया। इसलिये उसे कुछ पता नहीं था कि उस का पिता कौन था। जाबाली ने वही बात उससे कह दी। इस पर द्रोण ने उसे कहा कि पुत्र क्योंकि तुम्हारी मां ने सच बोला है अतः तुम ब्राह्मण हो। इस प्रकार जहां प्राचीन समय से नारियों का सम्मान रहा है वहां दहेज को बुरा माना गया है और दहेज मांगने वालों को नरक का भागी कहा गया है। ऐसे ही युग में हमारे देश में सतियां और महासतियां हुई हैं। उस स्वर्ण युग के बाद हमारे समाज में गिरावट आनी शुरू हुई और हमारे पुरुष और नारियां चरित्र से विचलित हो गये। समाज की स्थिति यह हो गई कि नारियों का सम्मान नहीं रहा और लोग कामिनी और कोंचन को घृणा की दृष्टि से देखने लगे तथा औरत को जीवन में गिरावट का कारण समझने लगे। स्वामी विवेकानन्द और गांधी जी ने फिर स्त्री की पालि कार्य और अब विनोभाजी वही काम कर रहे हैं। पंडित ठाकुरदास भार्गव जी चाहते हैं कि दहेज प्रथा बन्द न हो, परन्तु मेरी इच्छा यह है कि माताएं अपनी पुत्रियों को ऐसा दहेज दें जो सदा बना रहे। उन्हें अपनी पुत्रियों को संतान को पालने तथा पति के जीवन को सुखी बनाने की शिक्षा देनी चाहिये।

इस संबंध में श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर के शब्द "पूजा करि रखिवे याचाय ——

आभी नारी"।

बहुत प्रभाव पूर्ण हैं। जिसका अर्थ है कि नारी सुख और दुख दोनों में पति का साथ देना चाहती है।

†**आचार्य कृपलानी** (सीतामढ़ी): अध्यक्ष महोदय, अगर इस बिल के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसे प्रतिक्रियात्मक समझा जाएगा क्योंकि घर में भी औरतों की हुकूमत है और संसद् में भी। इस विधेयक का प्रभाव मध्यम वर्ग के कुछ थोड़े लोगों पर पड़ेगा क्योंकि धनवान लोगों के यहां तो लेने देने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि सब को पता होता है कि वे तो देंगे अवश्य। वैसे दहेज की प्रथा बहुत खराब है। सवाल यह है कि इस कानून को लागू कैसे किया जाएगा। क्या दुल्हिन शिकायत करेगी या दूल्हा? यदि कोई सामाजिक कार्यकर्ता शिकायत करेंगे तो दुल्हिन और

†मूल अंग्रेजी में

दूल्हा गवाही नहीं देंगे। और यदि किसी पक्ष ने गवाही दी तो आत्म हत्याओं की संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए यह बड़ा नाजुक कानून है। पर नारियां हठ कर रही हैं और वे चाहती हैं कि यह कानून अवश्य पास हो जाना चाहिए। इसलिये हम क्या कह सकते हैं। मुझे स्मरण है कि एक बार श्री त्यागी ने गांधी जी को यह सुझाव दिया था कि धूम्रपान का निषेध कर देना चाहिये। उस समय गांधी जी ने उत्तर दिया था कि यह ऐसी वाहियात आदत है कि इसको कोई बन्द नहीं कर सकता। दहेज समस्या की भी यही स्थिति है।

अतः मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के कानूनों से कोई लाभ न होगा। शारदा अधिनियम के समान यह भी प्रभाव हीन रह जायेगा। क्योंकि जैसे शारदा अधिनियम पास हो जाने के बाद भी वे बुराइयां अभी तक चल रही है; इसी प्रकार से यह कानून पास होने के बाद भी दहेज चलता रहेगा।

यह समझना गलत है कि औरतें दहेज नहीं चाहतीं। गृ णि ां चाहती हैं कि उनके घर में रेडियो भी हो और भी सभी प्रकार की सुविधायें भी हों। वह गहने भी पहनना चाहती है। इसलिये वह स्वयं दहेज चाहती है। अधिक से अधिक दहेज प्राप्त करने में वें एक दूसरे से स्पर्धा करती हैं।

नवयुवक लड़के भी दहेज चाहते हैं क्योंकि उनमें से कुछ व्यक्ति उस धन से आक्सफोर्ड या किसी और विदेशी विश्वविद्यालय में उच्चशिक्षा के लिये ज स ते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं, जिसका अन्ततः लड़की को ही लाभ होगा।

अतः इसे कानून बना देने के बाद भी इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकेगा। उससे तो कुछ एक बुरे लोगों को ईर्ष्यावश कुछ अन्य व्यक्तियों को तंग करने का मौका मिलेगा।

अतः बहनों से मेरा निवेदन है कि वे अपने आपको संगठित करें, दहेज प्रथा के विरुद्ध प्रचार करें और सत्याग्रह करें तथा यह स्पष्ट कह दें कि वे धन के बल पर विवाह करने के लिये तैयार नहीं हैं।

भारतीय घरों में सारा कार्य स्त्रियों के परामर्श से ही चलता है। विश्व के अन्य किसी भी देश में स्त्रियों का पुरुषों पर उतना अधिक नियंत्रण नहीं है जितना भारत में। मेरी भी वैसी ही स्थिति है। मेरी पत्नी का मेरे ऊपर नियंत्रण है। परन्तु स्वयं वह कोई भी कार्य करने में स्वतंत्र है।

अतः मैं यह कह रहा था कि स्त्रियां अपने आपको संगठित करें और इस बात के लिये सत्याग्रह करें कि यदि दहेज का प्रश्न उठाया जायेगा तो वे विवाह नहीं करेंगी। किसी भी समस्या का सबसे अच्छा हल सत्याग्रह ही है। यदि छः मास तक भी उन पुरुषों का बाइकाट करेंगी जो दहेज चाहते है तो इसका परिणाम यह होगा कि पुरुष स्वयं झुक जायेंगे और कहेंगे कि "हमें दहेज नहीं चाहिये।"

इस सम्बन्ध में मेरा एक और निवेदन यह है कि नवयुवकों और नवयुवतियों को अपना जीवन सरल बनाना चाहिये। यदि वे अपने जीवन में अधिक तड़क-भड़क न रखें तो दहेज के सम्बन्ध में कोई कानून के बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। परन्तु क्योंकि अब कानून बनाया जा रहा है, इसलिये मेरा निवेदन यही है कि विवाह के समय दिये जाने वाले उपहारों को दहेज के क्षेत्र में सम्मिलित न किया जाये। उसे अपराध नहीं मानना चाहिये।

†**श्रीमती सावित्री निगम** (उत्तर प्रदेश): दहेज की कुप्रथा को समाप्त करने वाले इस विधान का मैं पूर्णरूपेण समर्थन करती हूं और मुझे आशा है कि न ही केवल इस सभा के सदस्यों से अपितु सामान्य जनता से भी इसे पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा। दहेज प्रथा वास्तव में सभ्यता के माथे पर कलंक है।

कई माननीय सदस्यों ने इस प्रथा को जारी रखने के लिये कई संशोधन पेश किये हैं। वे संभवतः भूल गये हैं कि यह प्रथा कितनी अमानवीय और अन्यायपूर्ण है। उन्हें यह समझना चाहिये कि समय परिवर्तन के साथ सभ्यता के विकास से सभी प्राचीन प्रथायें समाप्त हो जाती हैं। उदाहरणार्थ स्वयंबर प्रथा अब पूर्णरूपेण समाप्त हो गयी है।

दहेज प्रथा का प्रचलन भी एक विशेष काल में किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण हुआ था। यह प्रथा उन दिनों प्रारम्भ हुई थी जबकि देश पर विदेशियों के आक्रमण हो रहे थे। उस समय लोगों ने अपनी लड़कियों की रक्षा के लिये बचपन में ही उनका विवाह करना प्रारम्भ कर दिया। और उनके पालन पोषण के लिये वे उनके विवाह के समय कुछ धन भी दे दिया करते थे। वहीं से दहेज प्रथा प्रारम्भ हुई थी। परन्तु अब तो हमें उन प्रथाओं को छोड़ देना चाहिये और विवाह की सम्पूर्ण विधि को एक नये आधार पर आधारित करना चाहिये।

अतः इस विधेयक को पास किये बिना समाज सुधार करना संभव नहीं होगा और न ही सामाजिक न्याय और समानता पैदा की जा सकेगी। कुछ माननीय सदस्यों ने यह पूछा है कि स्त्रियां ही इस कानून के लिये अधिक उत्सुक क्यों हैं? इसका कारण यह है कि स्त्रियों ने ही इस प्रथा के परिणामस्वरूप इतने अधिक कष्टों का सामना किया है।

दहेज प्रथा के कारण समाज में नारी का मान समाप्त हो गया है। पुत्री को जन्म देना एक प्रकार से अभिशाप समझा जाता है। घर में लड़की के जन्म लेते ही सम्पूर्ण परिवार में उदासी सी छा जाती है। वैसे तो सन्तान वरदान स्वरूप होती है। परन्तु पुत्री का जन्म अभिशाप स्वरूप माना जाता है। अतः यदि हम एक सर्वोदय समाज की स्थापना करने के इच्छुक है तो हमें सबसे पहले दहेज प्रथा की भयंकर समस्या को समाप्त कर देना होगा।

बहुत से सदस्यों ने स्त्रीदान की व्याख्या का समर्थन किया है और यह कहा है कि उसे जारी रखा जाये। परन्तु स्त्रीदान की जरूरत उस समय थी जब कि स्त्री को सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त न था। परन्तु अब तो उसे भी सम्पत्ति में बराबर का भाग मिलता है। अतः अब उसकी कोई जरूरत नहीं है।

जहां तक खण्ड ४ का सम्बन्ध है, मैं उसका समर्थन करती हूं। परन्तु खेद है कि उसके साथ एक परन्तुक जोड़ दिया गया है। यदि इस परन्तुक को रखा गया तो उससे यह विधान पूर्णरूपेण प्रभावकारी न बन सकेगा। हम व्यर्थ में ही भयभीत होते रहते हैं। हमें अपने लोगों में विश्वास रखना चाहिये। अतः यदि माननीय विधि मंत्री हमारी प्रार्थना मान कर इस परन्तुक को हटा दे, तो विधेयक पर्याप्त प्रभावकारी सिद्ध हो सकेगा।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** (कोयम्बटोर): आशा है कि इस विधान से सामाजिक असमानता को दूर करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त होगी। परन्तु केवल इस विधान के पास कर देने मात्र से ही सामाजिक बुराइयां दूर नहीं हो जायेंगी। इसे कार्यान्वित करने के

---

†मूल अंग्रेजी में

लिये हमें सभी को समझाना पड़ेगा। ऐसे कई माननीय सदस्य हैं जो इसके विरोधी है। स्वयं श्री त्यागी ने इसका घोर विरोध किया है। अतः हमें सचेत हो जाना चाहिये कि हमें समाज में भी इस सम्बन्ध में कितने विरोध का सामना करना पड़ेगा।

पण्डित ठाकुर दास भार्गव ने इसका विरोध करते हुए यह कहा है कि इस विधान से प्राचीन सामाजिक प्रथाओं पर आघात पहुंचेगा। ठीक है मैं भी विवाह प्रथा को एक प्राचीन सामाजिक प्रथा मानती हूं परन्तु मैं सामाजिक बुराइयों को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं। हमें सभी ऐसी सामाजिक प्रथाओं को समाप्त कर देना होगा जो कि हमारे समाज को प्रगति के मार्ग पर जाने से रोकती है।

जहाँ तक संशोधनों का सम्बन्ध है, मैं सर्वप्रथम यह बता देना चाहती हूं कि मैं व्याख्या का क्यों विरोध कर रही हूं। उसे विधेयक में सम्मिलित करने का क्यों समर्थन किया जा रहा है। कुछ सदस्यों ने कह दिया है कि इसके सम्मिलित करने में ही लाभ होगा क्योंकि इससे दहेज के लेन देन की अनुमति नहीं होगी, परन्तु यह तर्क बड़ा अजीब सा है। जिस समय लोक सभा में इस पर चर्चा की जा रही थी, उस समय हमने यह सुझाव दिया था कि लोगों के मन से सन्देह दूर करने का यह उपाय है कि विधेयक में अधिक स्पष्ट व्याख्या सम्मिलित की जाये परन्तु इस व्याख्या में कई त्रुटियाँ हैं। हमारा ऐसा विचार है कि इस व्याख्या में बहुत सी कमियां रह गयी हैं और इससे व्यर्थ में लोगों को परेशान किया जायेगा।

पण्डित ठाकुर दास भार्गव ने बड़े प्रभावकारी शब्दों में यह कहा है कि यदि पिता प्रेमवश अपनी पुत्री को कुछ देना चाहे तो उसे क्यों रोका जाये। श्री त्यागी ने भी यही तर्क दिया है। ठीक है जो भी व्यक्ति अपनी पुत्रियों को प्रेमवश कुछ देना चाहे, उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। परन्तु विवाह के अतिरिक्त अन्य अवसर पर भी तो उपहार दियें जा सकते है। अतः इस विधेयक के पास हो जाने के बाद भी उपहार के रूप में पुत्रियों को कुछ भी देने में कोई प्रतिबन्ध न होगा।

जहाँ तक दण्ड सम्बन्धी खण्ड का सम्बन्ध है, लोक-सभा में हमने यह मांग की थी कि इस खण्ड को अवश्य सम्मिलित किया जाये। माननीय विधि मंत्री का मत है कि इसे सम्मिलित न किया जाये क्योंकि इससे व्यर्थ में परेशानी बढ़ेगी। राज्य सभा के सदस्यों ने भी इस खण्ड का विरोध किया है। श्री हजरनवीस ने उस खण्ड पर एक और परन्तुक जोड़ दिया है। परन्तु मैं समझती हूं कि उस परन्तुक से तो स्थिति और भी खराब हो जायेगी। प्रभावकारी व्यक्ति विशेष अफसर से मिलकर व्यर्थ में ही दूसरों को परेशान कर सकते हैं। अतः मेरा यही निवेदन है कि उक्त खण्ड को बिना किसी परन्तुक के पास कर दिया जाये।

अतः दोनों सभाओं के सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे इस परन्तुक का घोर विरोध करें क्योंकि इससे परेशानियां बहुत बढ़ जायेंगी। विशेषतया ग्राम्य क्षेत्रों में तो दोनों पक्ष व्यर्थ में ही एक दूसरे को परेशान करते रहेंगे। यह परन्तुक स्वयं ही एक खतरा बन जायेगा।

अन्त में मुझे आशा है कि प्रस्तुत किये गये विभिन्न संशोधनों को दृष्टि में रखते हुए विधेयक को पुनः तयार किया जायेगा और उसे एक सुन्दरतम रूप में पास किया जायेगा।

†**श्रीमती टी० नल्लामूत्तू रामामूर्ति** (मद्रास) : सामाजिक बुराइयों और सामाजिक अन्याय को दूर करने वाले इस विधान पर अपने विचार अभिव्यक्त करते समय मैं हर्ष अनुभव करती हूं। कुछ एक माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया है। उनका यह कहना है कि दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिये प्रस्तुत किया गया यह विधान व्यावहारिक नहीं है। उनका यह कहना है कि इस विधेयक के पास हो जाने के बाद भी दहेज प्रथा जारी रहेगी।

वास्तव में इस विरोध में कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। जब कभी भी सामाजिक सुधार के लिये कोई भी विधान पेश किया जाता है, उस समय समाज के प्रतिक्रियावादी व्यक्ति उसका अवश्य विरोध करते हैं। उदाहरणार्थ कुछ लोगों ने स्त्री शिक्षा का भी घोर विरोध किया था। परन्तु सुधारवादी विरोध से डरते नहीं हैं।

यह विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसकी चिरकाल से प्रतीक्षा की जा रही है। इसे तो बहुत पहले ही पास हो जाना था। जिन लोगों ने इसकी व्यावहारिकता के सम्बन्ध में निराशावादी विचार व्यक्त किये हैं; उन्हें चाहिये कि वे देश की वर्तमान स्थिति को समझें और यह महसूस करें कि इस समय इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। अतः उन से यह निवेदन है कि वे इसे पास कराने में सहयोग प्रदान करें।

जहां तक विधेयक के प्रथम स्पष्टीकरण का सम्बन्ध है, मेरा निवेदन है कि उसे विधेयक में से निकाल दिया जाये क्योंकि उस के रहने से कई प्रकार की गलतफहमियां होने का डर है।

अतः मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक को पास कर दिया जाये। यह विधान एक अत्यन्त लाभकारी विधान सिद्ध होगा। यह देश के इतिहास में एक नया युग होगा और उस के परिणामस्वरूप महिलाओं को वही प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त हो जायेगी जो कि उन्हें विदेशी आक्रमणों से पहले प्राप्त थी।

लड़कियों का सौन्दर्य ही सब कुछ नहीं है इसलिए यदि कोई व्यक्ति केवल सौन्दर्य के कारण किसी लड़की से विवाह कर लेता है तो यह ठीक नहीं है। लड़की में वे गुण अवश्य होने चाहिए जिन से वह गृह-कार्य ठीक तरह चला सके। मैं ने ऐसी बहुत सी स्त्रियां देखी हैं जो देखने में सुन्दर न होने पर भी अत्यन्त गुणवान होती हैं। वास्तव में वे गुणों के कारण ही समाज में उच्च स्थान प्राप्त करती हैं।

यदि कोई व्यक्ति लड़की से विवाह न कर के उस के धन से विवाह करता है तो वह समाज और राष्ट्र का सच्चा सेवक नहीं हो सकता। आज देश में दहेज न स्वीकार करने के लिए हस्ताक्षर आन्दोलन चल रहा है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को अवश्य पारित किया जाये ताकि हमारे देश की लड़कियों का जीवन सुधर सके। हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि महाभारत और रामायण में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त है। अतः हमें लड़कों और लड़कियों को समान स्तर पर लाने का प्रयत्न करना चाहिये। तभी स्वर्ण युग का सूत्रपात होगा।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर): अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के संबंध में केवल तीन बातों का निर्देश करूंगा। सब से पहली बात खण्ड २ में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः शब्द जोड़ने के बारे में है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि ये शब्द उस खण्ड में अवश्य होने चाहिए ताकि अप्रत्यक्ष रूप से दहेज प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भी दंडित किया जा सके। मैं इस से सहमत नहीं हूं क्योंकि खंड ३ में यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के लागू होने के बाद दहेज देता अथवा लेता है अथवा उस के देने या लेने में सहायता करता है तो उसे छः महीने के कारावास अथवा पांच हजार रुपए जुर्माने अथवा दोनों दण्ड दिये जा सकेंगे। मेरा निवेदन है कि इस में प्रत्यक्षतः

---

†मूल अंग्रेजी में

अथवा अप्रत्यक्षतः शब्द नहीं है और जब दांडिक खण्ड में ये शब्द सम्मिलित नहीं हैं तो आपको उन्हें व्याख्या खण्ड में सम्मिलित करने का कोई अधिकार नहीं है। परन्तु खंड ३ में अब हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं इसलिए मैंने एक संशोधन रखा है जिसके द्वारा खण्ड ४ में ये शब्द जोड़ दिए जायेंगे। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो हम इन शब्दों को खण्ड ३ में रखने की कठिनाई से बच सकते हैं।

खण्ड ४ के संबंध में मेरा यह भी विचार है कि उस में "मांग" शब्द का प्रयोग ठीक नहीं हुआ है। यदि लोग दहेज देने के लिए कहेंगे तो उसे मांग समझ लिया जायेगा यह ठीक नहीं है। अतः या तो इस शब्द को खण्ड से निकाल देना चाहिए या उसको प्रयोग सही अर्थ में किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस खंड में दहेज की मांग के संबंध में वर और वधू दोनों पक्षों का उल्लेख किया गया है। यह ठीक नहीं है क्योंकि दक्षिण में केवल लड़की वालों से दहेज की मांग की जाती है लड़के वालों से नहीं। अतः मैं ने एक संशोधन पेश किया है कि "अथवा वर" शब्द निकाल दिये जायें।

जहां तक व्याख्या का संबंध है, मैं उस के लोप के लिए तैयार हूं। उसका शब्द विन्यास ऐसा है कि हम गौदान भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसे भी विवाह के लिये दिया गया उपहार समझ लिया जायेगा और संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकेगा। इसलिए इस व्याख्या को निकाल दिया जाना चाहिए।

फिर खंड ३ को देखने से मालूम होता है कि उस में "प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से" शब्द नहीं रखे गए हैं। चूंकि यह दांडिक खंड है और उस में ये शब्द नहीं प्रयुक्त हुए हैं इसलिए खण्ड २ में से भी ये शब्द निकाल दिए जाने चाहिए।

जहां तक इस विधेयक के अन्तर्गत प्राभियोजन का संबंध है, मेरा विचार है कि यदि कोई व्यक्ति दोष से मुक्त हो जाता है तो उसे कुछ प्रतिकर दिया जाना चाहिए। विधि उपमंत्री ने एक संशोधन रखा है जिस में यह कहा गया है कि सरकार अथवा उस के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की पूर्व मंजूरी के बिना न्यायालय इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी अपराध पर विचार नहीं करेगा। मैं इस में इतना और जोड़ देना चाहता हूं कि यदि वह शिकायत गलत निकलेगी तो न्यायालय संबंधित व्यक्ति को प्रतिकर दिलाएगा।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि माननीय मंत्री ने चतुराई से काम लिया होता तो इस संयुक्त बैठक की आवश्यकता न पड़ती। हमें यह विचार करना चाहिए कि इस में पैसा खर्च होता है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य को ऐसा नहीं कहना चाहिए। संयुक्त बैठक कोई बुरी चीज नहीं है। वह यह कह सकते थे कि यह मतभेद पहले ही दूर कर लिया जाना चाहिए था। परन्तु संयुक्त बैठक को बुरा नहीं कहा जा सकता।

†**श्री तजम्मुल हुसैन** (बिहार): अध्यक्ष महोदय, खण्ड २ के अन्तर्गत दहेज की व्याख्या "वधू अथवा वर के माता पिता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया नकद अथवा गहनों अथवा सम्पत्ति के रूप में उपहार" की गई है। इसलिए यदि माता पिता कोई चीज देते हैं तो वह प्रत्यक्ष है। परन्तु यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी जाती है तो वह अप्रत्यक्ष है। अतः मेरा निवेदन है कि "प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से" शब्दों को जोड़ना निरर्थक ही होगा। परन्तु चूंकि उनका कोई खास महत्व नहीं है इसलिए मैं इस बात पर विशेष जोर नहीं देना चाहता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तजम्मुल हुसैन]

इसके बाद मैं खण्ड ४ पर आता हूं। इस में यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति वधू अथवा वर के माता पिता अथवा संरक्षक से दहेज की मांग करेगा तो उसे दंडित किया जायेगा। मेरा निवेदन है कि इस खंड में एक बड़ी खामी रह गई है। यह भी तो संभव है कि दहेज की मांग सीधे लड़की से ही की जाये तथा उसके मां बाप से नहीं। क्या ऐसी स्थिति में वह अपराध नहीं माना जायेगा? इस के अतिरिक्त एक बात यह भी है कि यदि कोई शादी तय हो जाती है और तिलक भी चढ़ जाता है परन्तु बाद में किसी विशेषकारण से वर इस शादी से इन्कार कर देता है तो यद्यपि उसने दहेज की मांग की है फिर भी लड़की वाला प्रतिशोध की भावना से न्यायालय में यह कह देगा कि उस ने दहेज की मांग के कारण ही यह संबंध तोड़ा है और उस व्यक्ति को निरपराध होने पर भी दंडित किया जा सकेगा।

यही नहीं, मेरा निवेदन है कि केवल दहेज की मांग को दांडिक अपराध नहीं माना जा सकता है। अपराध के दो आवश्यक तत्व हैं—'मेन्स री' और 'एक्टस रीज'। 'मेन्स री' का तात्पर्य वास्तविक उद्देश्य से है और 'एक्टस रीज़' का तात्पर्य वास्तविक कार्य से है। उदाहरण के लिए मैं खुले तौर से कहता हूं कि मैं 'क' को मारना चाहता हूं परन्तु वास्तव में वैसा करता नहीं हूं तो भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत वह अपराध नहीं समझा जायेगा इसी प्रकार यदि मैं किसी व्यक्ति को मार देता हूं पर मेरा उद्देश्य वैसा नहीं था तो वह आकस्मिक घटना होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसी चीज की मांग करना मात्र अपराध नहीं है। अतः यदि हम इसे पारित कर भी देंगे तो यह मामला उच्चतम न्यायालय में जायेगा और वह उसे रद्द कर देगा जैसा कि पहले भी अनेक बार हो चुका है।

जहां तक व्याख्या (१) का सम्बन्ध है, उसमें कहा गया है कि विवाह के उपलक्ष्य में न दिया गया उपहार दहेज नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि लोग उपहार के रूप में कुछ भी दे सकेंगे और कानून की गिरफ्त में नहीं आयेंगे।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अतः इस विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए मेरे विचार से इस व्याख्या का निकाल दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि यह विधेयक इस बुराई को दूर नहीं कर सकेगा जो वर्षों से चली आ रही है। इसको केवल दो प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। पहली बात तो मेरे विचार से यह है कि हमें अपनी लड़कियों को शिक्षित करके उन्हें विवाह की पूर्ण स्वतंत्रता दे देनी चाहिए और मात पिता को उनके विवाह में अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। प्रत्येक सभ्य देश में ऐसा ही होता है। दूसरी बात यह है कि यदि किसी आदमी को दहेज लेने के सम्बन्ध में दंडित किया जाता है तो उसकी स्त्री को भी किया जाना चाहिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्त्री से अवश्य सलाह लेता है। मेरा विचार है कि दंडित किये जाने के डर से पत्नियां अपने पतियों को ऐसा करने से रोकेंगी।

यह विधेयक यदि अधिनियम बन जाता है तो कुछ लाभदायक सिद्ध हो सकता है। मेरा विचार है कि यह विधेयक पारित करना लड़कियों के हित में है। लेकिन साथ ही मेरा निवेदन है कि हमें अपनी लड़कियों एवं लड़कों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिये।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम किन लोगों के लिये विधान बना रहे हैं और क्या इसका अपेक्षित लाभ होगा। हमें विदित होना चाहिये कि जहां तक दहेज का मामला है, विभिन्न क्षेत्रों तथा विभिन्न समुदायों में पृथक् पृथक् परिपाटियां हैं। हमारे

†मूल अंग्रेजी में

देश में जब तक विवाहों में लेन देन व धन सम्पत्ति का महत्व रहेगा, हम दहेज़ की प्रथा को समाप्त नहीं कर सकते। इसे समाप्त करने का उपाय विधान नहीं है। इस विधेयक का प्रारूप भी अच्छा नहीं है। इसके कारण गांवों में विवाह करने वाले दलालों का धन्धा खूब चमक जायेगा। इसके प्रारूप से यह आभास मिलता है कि विवाह को जो कि एक पवित्र संस्कार, एक वाणिज्यिक रूप प्रदान कर दिया गया है। इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि लोगों को शिक्षित किया जाये और उनमें सामाजिक जागृति पैदा की जाये। स्पष्टीकरण १ को ऐसे ही रहने दिया जाये। विवाह में अल्पस्वरूप उपहार देने लेने के आनन्द को दंडनीय अपराध नहीं बनाया जाना चाहिये। दहेज़ की मांग के लिये दंड का उपबंध करने वाले खंड को निकाल दिया जाना चाहिये।

इस विधेयक का प्रभाव हमारे ऊपर काफी अच्छा पड़ेगा।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को या तो वापस ले लिया जाना चाहिये या इसके दंड सम्बन्धी उपबंधों को निकालकर और इसे निर्देशक प्रकार का बना कर ऐसा बनाया जाना चाहिये कि किसी को भी कोई हानि न होने पावे।

ज्ञानी जैल सिंह (पंजाब): सम्माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल पर जहां तक दोनों हाउसेज का सवाल है काफी बहस हुई है। अब सिर्फ राज्य सभा के अमेंडमेंट्स को इसमें शामिल करना बाकी है। आफिशियल अमेंडमेंट आयी है उसके मुताबिक यह नजर आता है कि कुछ अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट कर लिए जा सकते हैं।

मैं इसके सम्बन्ध में यह जो एक्सप्लेनेशन नम्बर १ है इसको डिलीट करने के हक में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। इस बिल की जरूरत कितनी है इसके सम्बन्ध में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं विश्वास रखता हूं कि यह एक कदम है जो हम आगे बढ़ा रहे हैं, मगर यह काफी नहीं है। इसमें आगे चल कर काफी अमेंडमेंट्स करने की जरूरत पड़ेगी और हो सकता है कि हमको अपने समाज का यह ढांचा जिस तरह से आज शादी विवाह का है इसको बदलना पड़े। राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद हम आर्थिक और सामाजिक आजादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उसी का यह एक अंग है। नाबराबरी होने की वजह से यह गरीब और अमीर का भेद है और इसी वजह से यह बीमारी ज्यादा बढ़ती है और कायम रहती है। जहां तक मैं समझ सका हूं विवाह शादी के साथ कानून का कोई ताल्लुक नहीं है। यह तो प्रेम और मुहब्बत का सौदा है और दिलों का सौदा है। इसके साथ दहेज का होना जुदा बात है, जो हमारे देश में फैला हुआ है। इसको बन्द करने के लिए हम यह कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन अगर इसमें यह एक्सप्लेनेशन रहता है जिसमें कैश, आरनामेंट, क्लाथ और अदर आर्टिकिल्स शामिल हैं और वह शादी के मौके पर दिये जा सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि इस बिल में जान बाकी नहीं रह जाती और इस कानून को बनाने का कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि जो अमीर आदमी होता है उसके बड़े रसूख होते हैं और उसके बहुत से ढंग होते हैं। और आज जो यह दहेज का सवाल है वह गरीब पर लागू नहीं होता। गरीब लोग तो बेचारे औरत के लिए तरसते रहते हैं, उनकी तो शादी नहीं होती। अमीर आदमी डाउरी मांगता है और अमीर आदमी ही डाउरी देता है। इसलिए अमीर आदमी को इस एक्सप्लेनेशन की वजह से काफी गुंजाइश मिलेगी कि वह चोरी कर सके, और यह बीमारी हमारे यहां पड़ी रहे।

मैं यह तो समझ सकता हूं कि इस बिल की वजह से दहेज का जो आम तौर पर दिखावा किया जाता है वह चला जायेगा। इससे गरीब आदमी सब्र कर लेगा और धनी आदमी अहंकार से

[ज्ञानी जैल सिंह]

यह नहीं कह सकेगा कि मैंने इतना दहेज दिया और गरीब आदमी शर्मिन्दा नहीं होगा कि मैंने नहीं दिया। लेकिन यह दहेज की बीमारी रुकेगी नहीं। इसका कारण यह है कि जो लोग दहेज देने वाले हैं उन पर हम ने प्रतिबन्ध नहीं लगाया है।

अगर इस बिल में से क्लाज ४ को डिलीट कर दिया जाता है और इसको शामिल नहीं रखा जाता तो फिर मैं समझता हूं कि रिश्ते के वक्त जो डिमांड की जाती है उसको हम नहीं पकड़ सकेंगे। मेरे ख्याल में यह जो शादी विवाह के वक्त में डिमांड लोग करते हैं उसका मुजाहिरा नहीं करते हैं और न इन मौकों पर लोगों को इकट्ठा किया जाता है, बल्कि वह तो घर में बैठ कर सौदा तै कर लिया जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि जब तक हम अपने मुल्क में स्वयंवर की रस्म नहीं लाते तब तक यह दहेज की बुराई कतई तौर पर खत्म नहीं हो सकती। इसलिए मैं समझता हूं कि इस क्लाज ४ को कायम रखना निहायत जरूरी है जिससे कि हम उन लोगों को पकड़ सकें जो डिमांड की रिवाज को कायम रखे हुए हैं और उस पर फख्र करते हैं।

एक वह हैं जो हमारी जान लेते हैं

एक हम हैं जो उन पर जान देते हैं।

तो जिन लोगों के दिमाग पर इस रिवाज का असर है वह समझते हैं कि ऐसा करके हम ऊंचे उठ सकेंगे और हमारी इज्जत बढ़ेगी। ऐसे लोग इस रिवाज को रुकने नहीं देंगे। मेरा तजरबा है कि जब तक अमीर आदमी को हथकड़ी न दिखायी जाये या जेल का दरवाजा न दिखलाया जाये तब तक वह किसी चीज से नहीं घबराता। वह इन बातों का इन्तिजाम कर सकते हैं कि कोई उनकी शिकायत न करे, कोई उनका पल्ला न पकड़े।

पंजाब में और कुछ दूसरे सूबों में यह कायदा हुआ कि कोई आदमी ५० से ज्यादा लोगों को दावत में न बुलाये। लेकिन अमीर लोग ऐसा करते थे कि एक कार्ड अपने नाम से छपवाया, एक अपने भाई के नाम से छपवाया, एक बहिन के नाम से छपवाया और इस तरह से ६–७ कार्ड छप जाते थे और तीन सौ चार सौ आदमियों को बुलाया जाता है और पार्टी चलती थी।

यही नहीं कुछ जगहों पर जैसे पंजाब में और दूसरे सूबों में भी कुछ लोगों में ऐसा रिवाज है कि बेटे वाले को अपनी बरात का खर्चा करना पड़ता है और जो बेटी वाले के मेहमान होते हैं उनका भी खर्चा उसी को करना पड़ता है।

इसलिए जहां तक इस बिल के मंशा मुबारक का सवाल है, जहां तक इस बुनियादी सवाल का ताल्लुक है उसके साथ मैं सोलहों आना हूं और उसकी ताईद करता हूं, मगर मैं यह चाहूंगा कि यह जो एक्सप्लेनेशन है इसको निकाल दिया जाये। अगर इसको नहीं निकाला जायगा तो इसमें कैश, आरनामेंट्स, क्लाथ और अदर आर्टिकिल्स इतनी चीजें आ जाती हैं कि उनसे दहेज पूरा किया जा सकता है। इसके मुताबिक लाखों के जेवर बनाये जा सकते हैं, लाखों के कपड़े बनाये जा सकते हैं और दूसरी चीजें दी जा सकती हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि दोनों हाउसेज के मेम्बर सहाबान इस बात पर जोर देंगे, और इस पर अपनी राय देंगे कि इस एक्सप्लेनेशन को लाइन १ से लाइन ६ तक डिलीट कर दिया जाये। जै हिन्द।

†**श्री बी० डी० खोबरागड़े** (महाराष्ट्र): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि विधान द्वारा सामाजिक सुधार नहीं किया जा सकता। यह कहना

†मूल अंग्रेजी में

गलत हैं। विधान द्वारा सामाजिक सुधार किया जा सकता है बशर्ते कि हम यह सुनिश्चित कर लें कि विधि को ठीक ढंग से लागू किया जा सकता है। और सरकार की नीयत उसे लागू करने की हो। क्योंकि संसद् ने अब तक जितने विधान पारित किये हैं यदि उन्हें ठीक ढंग से लागू किया गया होता बहुत कुछ सुधार हो गये होते। आज समाज में स्त्रियों का स्थान घट गया है। मेरा निवेदन है कि समाज में स्त्रियों को उचित स्थान मिलना चाहिये।

राज्य सभा ने जो संशोधन पारित किये हैं वे ठीक हैं। मैं उनका समर्थन करता हूं।

यदि खंड २ में "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से" शब्द नहीं रखे जायेंगे तो किसी न किसी रूप में दहेज़ दिया जा सकता है और समाज विरोधी लोग विधि के उपबंधों का उल्लंघन करने का प्रयत्न करेंगे। सभी संदेहों का निवारण करने तथा विधि को स्पष्ट करने के लिये भी इन शब्दों का रखा जाना आवश्यक है।

जहां तक कि स्पष्टीकरण की बात है उसे निकाल देना चाहिये। मेरी समझ में यह बात नहीं आती। कानून को भंग करने के इच्छुक व्यक्तियों को हमें अपनी ओर से कोई सुझाव देना चाहिये। जो माता पिता अपने बच्चों के प्रति प्यार तथा स्नेह होने के कारण उन्हें कोई भेंट या उपहार देना चाहते हैं, उनके मार्ग में कोई रुकावट नहीं है।

अगर हम इस दहेज की बुराई को दूर करना चाहते हैं तो यह बहुत आवश्यक है कि सामाजिक दृष्टिकोण को बिल्कुल बदलना होगा। और इसके लिये यह आवश्यक है कि समाज का पुनर्गठन करना चाहिये।

दहेज प्रथा का उन्मूलन करने का एक तरीका यह है कि अन्तर्जातीय विवाह होने चाहिये।

दूसरे मातापिताओं द्वारा विवाह सम्बन्ध तय नहीं किये जाने चाहिये, अपितु युवक युवतियों को इस सम्बन्ध में खुली छूट होनी चाहिये। इससे यह होगा कि उनका परिचय प्रेम का रूप धारण कर लेगा और वे आपस में विवाह कर सकते हैं।

अतः दहेज प्रथा को दूर करने के लिये हमें पहिले रूढ़ियों और परम्पराओं को तिलांजलि देनी चाहिये। और युवक युवतियों को आपस में मिलने की पूरी छूट देनी चाहिये।

मैं उन सभी सदस्यों से जो महिलाओं को पुरुष के समकक्ष स्थान दिलाना चाहते हैं यह निवेदन करता हूं कि वे इस विधेयक का समर्थन करें।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" (शिवपुरी) : कृष्णम वन्दे जगदगुरुम।

उपाध्यक्ष महोदय, इस में सन्देह नहीं कि मेरे देश में और समाज में एक प्रकार की नहीं, अनेकों प्रकार की बुराइयां घुस गई हैं और समाज में जो दोष आये हैं, उन के कारण समाज जर्जरीभूत हो कर नित्य-प्रति शनैः शनैः पतन की ओर जा रहा है। समाज को स्वस्थ बनाने के लिये, सबल और सशक्त बनाने के लिये, उस में आये हुए दोषों का निराकरण होना परमावश्यक है। उन दोषों में लड़की या लड़के के लिये पैसा मांगना, यह एक महान् पाप है, जो समाज में उत्पन्न हुआ है। जब हम विवाह करने जाते हैं, तो विवाह करते हैं लड़के और लड़की के साथ और बीच में उस में पैसा आ जाता है —इस आत्मीय सम्बन्ध में, सम्पूर्ण जीवन को एक साथ चलाने वाले सम्बन्ध में, जड़ पदार्थ बीच में आ जाता है, जो कि चैतन्य को जड़त्व की ओर ले जाता है। इसलिये चैतन्य चैतन्य ही रहे और उस में जड़त्व न आये, उस में जाग्रति के चिन्ह समाप्त न हो पायें, इस दिशा में प्रयत्न

[पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश"]

करना प्रत्येक बुद्धिमान समाज और वर्ग का कर्तव्य हो जाता है। इस दृष्टि से समाज में से इस दहेज प्रथा को निकालने के लिये जो बिल लाया गया है, उस की भावना का विरोध कोई भी बुद्धिमान आदमी नहीं करेगा। हमारे समाज में से किसी दोष को निकालना चाहिये, इस सम्बन्ध में क्यों विरोध करना चाहिये और जो व्यवस्था हमारे समाज को दुर्बल बनाती है, उस को चलते देने की अनुज्ञा कौन देगा ? जिस की बुद्धि भ्रष्ट हुई है, जिस को समझ नहीं है, वही ऐसा कर सकता है।

अतएव इस बिल की भावना का तो मैं आदर करता हूं, परन्तु उस भावना की पूर्ति के लिये जो पद्धति अपनाई गई है, जो मार्ग अपनाया गया है, वह सम्पूर्णरूपेन मेरी समझ में नहीं आया है। दो प्रकार की बातें यहां पर चल रही हैं। कुछ लोग यह कहते हैं कि कानून के द्वारा समाज का सुधार नहीं हो सकता है और कुछ लोगों का यह विचार है कि कानून के द्वारा ही समाज का सुधार हो सकता है। बात वास्तव में यह है कि यदि कानूनों के बिना ही दोषों को निकालना सम्भव होता और यदि कानूनों के द्वारा दोषों को न निकाला गया होता, तो फिर लोक सभा की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कानूनों के निर्माण के सिवाये लोक सभा क्या करती है ? विधान निर्माण करना, जो विधान खराब हैं, उनका संशोधन करना, जो नहीं हैं, उनका निर्माण करना, जिस की आवश्कता है, उस की पूर्ति करना, इसी के लिये लोक सभा है। अगर कानून के द्वारा कुछ नहीं हो सकता है, तो लोक सभा की आवश्यकता नहीं रह जायगी। प्रजातंत्र में लोक सभा का जो निर्माण हुआ है, उस का तात्पर्य यही निकलता है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे दोष हैं, जिन का निराकरण विधान के द्वारा ही किया जा सकता है। परन्तु इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ लोग विभिन्न समस्याओं के समाधान के बारे में जो विचार प्रकट करते हैं, उन से भ्रम निर्माण होता है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि उन को इस विषय में अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रकट करने चाहियें। जो लोग यह विधान ला रहे हैं, गो-रक्षा के प्रश्न पर वे कहते हैं कि वह तो लोग करेंगे, कानून से गो-रक्षा नहीं हो सकेगी। गाय की रक्षा लोगों को करनी चाहिये और हम रक्षा नहीं करेंगे, इस तरह की परस्पर विरोधी बातें जब हम करते हैं, तो इस से भ्रम-निर्माण होता है। मैं मानता हूं कि सभी जो दोष हैं वे कानून के द्वारा ही निकाले नहीं जा सकते हैं। परन्तु यदि हम कोई कानून बनाते हैं तो वह इस प्रकार का हमें बनाना चाहिये कि किसी भी प्रकार की किसी बुराई की गुंजाइश उसमें न रहे। यदि हम विधान बनाते हैं, तो उसे पूर्ण बनाना चाहिये और उसका कठोरता के साथ पालन करना चाहिये और साथ ही साथ पालन कराने के लिये तत्पर रहना चाहिये। अगर ऐसा हुआ तभी कोई बुराई दूर हो सकती हैं। यदि हम ने सीधी नाक न पकड़ कर के चक्कर लगा कर नाक को पकड़ने की कोशिश की तो इससे कुछ लाभ नहीं होगा।

हम चाहते हैं कि दहेज प्रथा का अन्त हो। लेकिन इसके रास्ते में जो बुराइयां हैं उनका भी हमें अन्त करना होगा। सब से खराबी की बात इस वक्त यह है कि यहां पर ऐसा वायुमंडल पैदा करने की कोशिश की गई है कि नारी कुछ और है और नर कुछ और। मैं पूछना चाहता हूं कि ये नर और नारी आते कहां से हैं। नर और नारी के समागम से ही तो नर और नारी आते हैं। यदि नर न हो तो नारी क्या करेगी और यदि नारी न हो तो नर क्या करेगा। अगर इन दोनों में से एक न हो तो क्या आप ब्रह्मचारियों से इस सृष्टि का संचालन करने को कहेंगे। दोनों के सम्मिलन के कारण ही यह सारी सृष्टि चलती है। यहां न कोई बड़ा है और न कोई छोटा। न पुरुष बड़ा है और न नारी छोटी। दोनों समान हैं। समान स्थान का उद्घोष हमारे ग्रन्थों में किया गया है।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः

अधिक पुषार्थ करके पैसा कमा कर लाने की वजह से नर कहीं नारी पर हावी न हो जाय, इसके प्रति उस को सावधान किया गया है ।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

यत्र यास्तु न पूज्यन्ते सर्वाः तत्र अफला क्रियाः ।।

मेरे देश का पतन इसीलिये हुआ है और इसीलिये हो रहा है कि इस देश में नारी के प्रति अपमान और तिरस्कार और उसको दास बना कर रखने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है । जिस दिन इस देश में नारी के प्रति पूज्य भाव उत्पन्न होगा उस दिन यह डावरी नहीं रहेगी । जब आप अपने घर में गृह लक्ष्मी ला रहे हैं तो पैसा मांगने की क्या आवश्यकता है । जब स्वयं मेरे घर में लक्ष्मी आ रही है तो इस का अर्थ हुआ कि मेरे घर में लक्ष्मी बढ़ेगी । और यदि लक्ष्मी के स्थान पर मैं राक्षसिनी ला रहा हूं, पतिता ला रहा हूं और स्वयं भी यदि मैं पतित हूं यदि स्वयं भी मैं पापी हूं तो यह डावरी कितने दिन मेरे घर में टिकेगी, इस को सब जानते हैं । यदि मेरी प्रवृत्ति स्वयं ठीक नहीं है, तो समाज की प्रवृत्ति कैसे ठीक हो सकती है । सभी की प्रवृत्ति ठीक होनी चाहिये और सब में यह भावना आनी चाहिये कि नारी हमारे लिये पूज्य स्थान रखती है, नारी पुरुष के लिये सर्वस्व प्रदान करने वाली है, सब कुछ उसके द्वारा मिलता है । इस तरह की भावना हमारे जो नेता हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनको उत्पन्न करने की कोशिश करनी चाहिये । हम अंग्रेज़ों को तो यहां से भगा सकते हैं और डावरी को हम उखाड़ कर फेंक नहीं सकते हैं, क्या कमाल की बात है । अगर ऐसा हम नहीं कर सकते हैं तो क्या हो गया है इस देश को ? जब अंग्रेज़ों के जमाने में हम बड़े बड़े पापों के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते थे तो क्या हम यह नहीं कर सकते हैं ? कानून तो उन के ज़माने में यह था कि इस देश में हम बोल भी नहीं सकते हैं । लेकिन इसके होते हुए भी हम ने अंग्रेज़ी राज को खत्म कर दिया । हम ने उस कानून को और उस कानून के बनाने वालों को भी यहां से उखाड़ कर फेंक दिया । यदि सभा इस बात पर एक मत हो जाय कि इस प्रथा से हम कष्ट पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो यह कुप्रथा एक दिन भी टिक नहीं सकती है । परन्तु समाज में इस प्रकार का वायुमंडल उत्पन्न करने वाले लोग नहीं रहे हैं । यहां पर भी बहस चलती है, बोल बाल कर ही हम मौज मज़ा लेना चाहते हैं और गम्भीरतापूर्वक किसी चीज़ को सोचने के लिये ही तैयार नहीं हैं, उस पर चलने के लिये तैयार नहीं हैं, विचार करने के लिये तैयार नहीं हैं और जब हम स्वयं गम्भीर नहीं तो बाहर वाले जो हैं, जो हमारी बात को सुनते हैं, वे भी गम्भीर नहीं हैं, जनता भी गम्भीर नहीं है । वह कहती है कि बनाये जाओ आप कानून और इन कानूनों को बनाने से क्या होगा ? बात उस की ठीक है । हम ने चोरी न करने के बारे में एक कानून बनाया है, पर चोरियां हो रही हैं । हमारा कानून यह है कि डकैतियां नहीं हो सकती हैं लेकिन डकैतियां हो रही हैं । हम ने यह भी कहा है कि रिश्वतखोरी नहीं होनी चाहिये, लेकिन रिश्वतखोरी चल रही है, लोग दे ले रहे हैं । डावरी क्या है एक ब्राइबरी ही तो है । ब्राइबरी अगर बन्द नहीं होती है तो डावरी कैसे बन्द हो सकती है । रिश्वतखोरी अगर बन्द नहीं होती तो दहेज कैसे बन्द हो जायगा । लोगों को गर्ज़ पड़ती है, और देना पड़ता है और यहां पर उन को गर्ज़ पड़ेगी तो देना पड़ेगा और कोई पकड़ में नहीं आयेगा । इस वास्ते हम को सब से पहले नैतिक स्तर को, नैतिक धरातल को उटाना पड़ेगा, लोगों में जागृति लानी पड़ेगी और जिस प्रकार हम किसी जगाने में बड़े से बड़ा त्याग करने के लिये तैयार थे देश के उत्थान के लिये, उसी रास्ते पर हमें अब आना पड़ेगा और बड़े से बड़ा त्याग करने के लिये तैयार होना पड़ेगा ।

यह जो डावरी है यह भी एक दिखावा मात्र बन कर रह गई है, एक शो मात्र बन कर रह गई है । यह जो दिखावा है, इस को इसमें से निकलना चाहिये । जब कोई इतने हार दे देता है, इतनी अंगुठियां दे देता है, काफी अधिक संख्या में साढ़ियां दे देता है,

[पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश"]

तो लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा विवाह किया है और यदि यह सब कुछ नहीं किया जाता है और केवल लड़की को ही दे दिया जाता है तो मेरे यहां तो यह कहा जाता है कि इंद्र भी कोई नहीं, कल्प-वृक्ष भी कोई नहीं, कामधेनु भी कुछ नहीं है ।

शाखाम् ददातु नहि कल्प तरुः स्वकीयाम् ।
वत्साम ददातु नहि काम दुधत्रि दोत्रीम् ।।
चक्षुः सहस्रं न च वैवतु चक्षुमेकम् ।
धन्यास्तु ते मुपगताः तनुजा ददातु ।।

कल्पतरु से यदि हम उस की एक शाखा मांगें तो वह नहीं देगा और कामधेनु से यदि उसका वत्स मांगें तो वह भी नहीं देगी, यदि इंद्र से सहस्र नेत्र उसके होते हुए भी एक नेत्र मांगें तो वह अपना नेत्र प्रदान नहीं करेगा । तब वे धन्य हैं जो अपनी तनुजा, आत्मजा दूसरों को प्रदान करते हैं । जब कन्या मिल गई तो हम को किसी दूसरी वस्तु की इच्छा नहीं होनी चाहिये । लेकिन हम में पाप वृत्ति जागृत हो गई है, दिखावा भी आ गया है । कितनी दौलत बंटती है, कितनी तस्वीरें निलती हैं, कितने मेहमान पीछे चलते हैं, कितने ढोल पिटते हैं, इन सब चीज़ों पर ही हमारा ध्यान जाता है । मेरी समझ में नहीं आता है कि क्यों यह सारा दिखावा हो रहा है । देश में लोग भूखे मर रहे हैं लेकिन यहां हज़ार हज़ार और पांच पांच सौ आदमी पीछे चलते हैं और इतना लम्बा चौड़ा शो किया जाता है । यह सब कुछ क्यों होता है ? यह सब कुछ इसलिये होता है कि हम में देश भक्ति की भावना नहीं है ।

यह जो बिल आया है इस में एक स्पष्टीकरण किया गया है । इस के बारे में मेरे मित्र भार्गव जी ने कहा है कि यह इस बिल का प्राण है मगर मैं कहता हूं कि इस से यह बिल निष्प्राण हो गया है । मुझे कोई नुक्सान नहीं है । मेरे जैसे आदमियों को शादियों में पैसा काफी आ जाता है । मिनिस्ट्रों को भी इस से कोई नुक्सान नहीं है, उन को भी फायदा हो सकता है । हम दोनों को फायदा है । कहीं जब विवाह होता है तो पंडित जी महाराज वहां पधारते हैं और शादी सम्पन्न करवाते हैं और सोना, चान्दी पैसा जो कुछ भी मिलता है, ले कर चले आते हैं और उससे उन का काम चल जाता है । इस वास्ते मैं क्यों इस का विरोध करूं ? लेकिन सच्चाई तो यह है कि यह सब दिखावा है, शो है । शो क्या होता है । अपना काम निकालने के लिये कुछ भक्तों की ओर से भेंट दे दिया जाता है शादी के मौके पर तो यह सोच लिया जाता है कि कल मिनिस्टर से काम पड़ेगा तो वह निकल सकता है । लड़की की शादी होगी और मिनिस्टर साहब को उस शादी में दो हज़ार रुपया दे दिया जायेगा तो नाम तो लिखा ही जायेगा कि दो हज़ार रुपया शादी में आया था और बाद में काम निकलवाने की ज़रूरत पड़ी तो वह निकल ही जायगा ।

इस वास्ते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको आप बन्द करना चाहते हैं तो पूरी तरह से बन्द कर दीजिये । विवाह के समय पैसा नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा । केवल लड़का और लड़की रहेंगे, दूसरा कोई नहीं होगा । लड़के के साथ लड़की जाएगी और कोई नहीं । आप कह सकते हैं यह सम्भव नहीं है । लेकिन मैं कहता हूं कि यह चीज़ होती भी रही है ।

विष्णु स्वरूपणे वराय लक्ष्मी स्वरूपिणीं इमाम्
कन्याम् तुभ्यमहम् संप्रदवैत् ।

यह संकल्प है ।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : आपने लड़की की शादी में कितना पैसा दिया।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" : अभी वह छोटी है, जब बड़ी होगी, तब बात करूंगा। लड़के के विवाह में कुछ मांगा नहीं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब कि कन्या को विष्णु रूप मानते हैं, कन्या को लक्ष्मी स्वरूप मानते हैं और उसके चलते अगर इस प्रकार के दोष आ गए हैं तो उन दोषों को निकालने के लिए कानून का सहारा लेना परम आवश्यक है, इससे हवा तो फैलेगी, लोग डरेंगे तो कि अगर उन्होंने इसके खिलाफ कुछ किया तो उनको सजा हो जाएगी। जो ईमानदारी से इसको रोकना चाहते हैं, उनको इससे प्रोत्साहन तो मिलेगा। कहीं ऐसा न हो कि सरकार केवल कानून बनाकर बैठ जाए और पुलिस वाले जा कर पैसा खाते जायें और अगर पैसा नहीं मिलता है तो पूछें ही नहीं। जैसे और पाप कानूनों के होते चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार के ये पाप इसके बाद भी ज्यों के त्यों न चलते रहें, इसकी आपको रोकथाम करनी होगी। यह सारी की सारी चीज़ जो लौट पलट कर आ गई है कि पैसा भी दे सकते हैं, आभूषण भी दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं फिर डावरी क्या रह गई। अगर मैं खुद नहीं दे सकता हूं तो मैं अपने साले से कह दूंगा कि तुम दे दो, पैसा मैं दे रहा हूं। लड़के वाला कह सकता है कि मैंने किताब कानून की देख ली है और आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपके साले साहब तो दे सकते हैं, उनसे दिलवा दीजिये। इस तरह की चीज़ को सरकार कैसे रोकेगी? दो हज़ार के हार साले साहब बनवा कर ले आयेंगे, नाम उनका होगा और दाम किसी और के लगेंगे और यह सारी चीज चलती रहेगी। लौट पलट पर वही का वहीं चलता रहेगा। डावरी को रहना ही नहीं चाहिये और इतना ही नहीं बल्कि दिखावा उस में से बिल्कुल जाना चाहिये, पाप की जड़ का ही नाश किया जाना चाहिये। जब तक इस प्रकार का इसमें संशोधन नहीं होगा, तब तक कोई लाभ नहीं होगा। जब तक यह स्पष्टीकरण नहीं निकलेगा, तब तक यह बिल निष्प्राण रहेगा।

डायरेक्टली और इंडायरेक्टली का जो झगड़ा है, उसमें कोई अन्तर नहीं है। कौन किस की शिकायत करने जाता है, कौन किस से लड़ने . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आप झगड़े में ही न पड़ें।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" : कब से मैं बोलने की प्रतीक्षा कर रहा था और दस मिनट की जो सीमा है, वह भी मुझ से ही शुरू हुई लेकिन फिर भी बोलने का जो अवसर प्रदान किया गया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो पाप इस देश में आया है, यह जाना अवश्य चाहिये, इससे जनता और समाज दोनों जर्जरीभूत हो रहे हैं, देश को बड़ा कष्ट हो रहा है। परन्तु इस में समाज को पुनश्च पाप करने का अवसर नहीं देना चाहिये, और जो इस को पास करने वाले हैं, जो इस विधेयक पर वोट देने वाले लोग हैं, उन को स्वयम् भी सक्रिय रूप से काम करने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी हम इस प्रकार की बुराइयों से बच सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं संशोधनों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

†**श्री भूपेश गुप्त** : संवैधानिक रूप से यद्यपि यह मतभेद सभा के दो सदनों के बीच में है तथापि वास्तव में यह मतभेद उन दो वर्गों के बीच है जो समाज में सुधार चाहते हैं और जो समाज में बहुत धीमे से सुधार चाहते हैं या सुधारों के विरोधी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भूपेश गुप्त]

इस विधेयक के संबंध में लोक-सभा या राज्य सभा में सरकार हमें कोई पथप्रदर्शन नहीं कर सकी और विधि मंत्री हर कदम पर लड़खड़ाते रहे और कोई निश्चित मत नहीं दे सके।

इस संबंध में हमें सभा के दोनों सदनों के बीच प्रतिस्पर्द्धा का वातावरण नहीं पैदा करना चाहिये अपितु लोक-सभा के प्रस्ताव में जो अच्छी बात हो उसे राज्य-सभा ने और राज्य सभा के प्रस्ताव में जो अच्छी बात हो उसे लोक-सभा ने स्वीकार करना चाहिये।

स्नेह और प्रेम के नाम पर जो कुछ भी दिया जाय सब क्षम्य है तथापि यदि वह विवाह ठहराने के नाम पर दिया जाता है तब मैं विधि से हस्तक्षेप करने को कहूंगा।

यह कहा गया है कि इस प्रकार के उपबंधों से जनता को परेशान किया जा सकता है। मेरा अनुभव यह है कि इस प्रकार के कई अन्य अधिनियमों के आधार पर जनता को परेशान कम किया जाता है। वास्तव में इन अधिनियमों का पालन ही नहीं किया जाता है इनकी उपेक्षा की जाती है। अतः जनता की परेशानी के नाम पर इतना गुलगपाड़ा मचाना ठीक नहीं है।

विधेयक के संबंध में बड़ी भावनायें व्यक्त की गयी हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह भावनायें व्यक्त करने का समय नहीं है अपितु इस बुराई को देश से समूल नष्ट करने के लिये संवैधानिक शक्तियां प्राप्त करने का समय है।

जहां तक व्याख्या का प्रश्न है उसे रखना विधेयक के अपवंचन करने का निमंत्रण देना है अतः हमें लोक-सभा का यह सुझाव स्वीकार कर लेना चाहिये कि यह व्याख्या हटा दी जाय।

यह कहा गया है कि शादी के समय दिये गये उपहारों का क्या होगा। निसंदेह उपहार दिये जा सकते हैं लेकिन यदि वे शादी ठहराने के लिये दिये जायेंगे तो इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करना होगा। तथापि इसे सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर पड़ेगा जो कि शिकायत करेगा। यह कार्य बहुत कठिन है।

कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के पश्चात् दहेज देते समय यह नहीं कहेगा कि मैं यह वस्तु विवाह ठहराने के एवज में दे रहा हूं। अतः इसें इस रूप में नहीं रखा जाय। इससे इस अधिनियम का उल्लंघन होगा।

यदि कोई व्यक्ति इस अपराध को सिद्ध करना चाहेगा तो उसे एक अधिकारी के पास जाना होगा। उसे ढूंढने में भी उसे कुछ समय लगेगा ही संभव है तब तक वर और उसके पक्ष वाले सारा दहेज ले कर चम्पत हो जायें। इस प्रकार यह सामाजिक विधान कभी सफल नहीं हो सकता है।

इस प्रकार इस विधेयक से न तो जनता में जागृति ही आ सकती है और न उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त होती है। वस्तुतः सरकार ने इस संबंध में बहुत दुर्बलता से काम किया है। मेरा अनुरोध है कि इस परन्तुक को हटा दिया जाये। हमें इस संबंध में लोक-सभा का सुझाव मान लेना चाहिये।

श्रीमती कृष्णा मेहता (जम्मू तथा काश्मीर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस दहेज निषेध बिल का स्वागत करती हूं। जब यह सदन में पहले प्रस्तुत हुआ था उस समय भी मैं ने इसका स्वागत किया था। इसमें जो कुछ भी त्रुटियां थीं लेकिन जनता को जाग्रत करने का एक साधन है।

इस विधेयक के कारण ही आज यह संयुक्त अधिवेशन चल रहा है। यह हिन्दुस्तान के इतिहास के लिये और भारत की जनता के लिए एक नई घटना है।

कहने को तो कह सकते हैं कि यह एक मामूली सी बात थी, लेकिन वास्तव में यह एक मामूली बात नहीं है। यह एक बड़ी बात है जिसमें स्त्री जाति का मान छिपा हुआ है क्योंकि यह स्त्री जाति के लिए सबसे बड़ी इज्जत की बात थी। इसका मतलब यह नहीं है कि इसका पुरुषों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। दहेज का भार ज्यादातर पुरुष जाति पर ही पड़ता है। लड़की के पिता को लड़की के हाथ पीले करने के लिए दहेज जैसे भी हो जुटाना पड़ता है। इस दहेज के ही अभिशाप के कारण हम देखते हैं कि लड़की के जन्म लेते ही उसके माता पिता के मुंह पर उदासी सी छा जाती है। लड़की कितनी ही गुणवती हो, रूपवती हो और पढ़ी लिखी हो लेकिन जो एक खुशी उसके माता पिता के दिल में और अन्य परिवार वालों में होनी चाहिए, वह नहीं रहती है। उसके माता पिता और परिवार वालों में उदासी का भाव आ जाता है और उनके सिर पर यह चिंता सवार रहती है दहेज की। आज हमारे देश और समाज की अवस्था ऐसी है जिसमें लड़की के शील, गुण और रूप आदि को न देख कर सिर्फ यह देखा जाता है कि उसके साथ दहेज कितना आयेगा, नकदी कितनी लड़की के बाप से मिलेगी। जब ऐसी बुराई समाज में मौजूद हो तो एक जनतंत्री सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उस कुरीति को दूर करने के लिए कदम उठाये, कोई रास्ता निकाले और आवश्यक लेजिस्लेशन लाये। सरकार इस दृष्टि से जो यह विधेयक लायी है वह स्वागत योग्य क्योंकि उसके द्वारा समाज में से इस दहेज की कुप्रथा को दूर करने और खत्म करने का प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही सरकार को इस बात की भी सावधानी और सतर्कता बर्तनी होगी कि जिस उद्देश्य से उसने यह विधेयक बनाया है उससे कहीं जनता के कष्ट दूर होने के बजाय बढ़ न जायें। विधेयक को पास करते समय इस बात का ख्याल रक्खा जाय कि इससे जनता की कठिनाइयां कहीं घटने और खत्म होने के बजाय बढ़ न जायं। विधेयक ऐसा होना चाहिए ताकि जब भी कोई बुरा काम करें उसे उसको करने में झिझक हो। विधेयक उसे ऐसा काम करने से रोके जिसके लिए उसे बाद में अपना सिर देश, समाज और सरकार के आगे शर्म से झुकाना पड़े।

श्रीमन्, साथ ही इस बात का ध्यान रक्खा जाना चाहिए कि विधेयक ऐसा बनाया जाय जिससे चोरी के दरवाजे न खुल जायें। जाहिर है कि अगर हम ऐसी बातें रखते हैं जिनसे आसानियों के बदले कठिनाइयां आ जाती हैं तो चारों तरफ चोरी और झूठ के दरवाजे खुल जाते हैं और उनके कारण हमारी नैतिकता पर भी बुरा असर पड़ता है।

जिस रूप में अब यह विधेयक आया है उसका मैं पूरी तरह से समर्थन करती हूं और सरकार को धन्यवाद देती हूं कि वह इस प्रकार का एक बिल लाई जिससे यह दहेज की कुप्रथा को समाप्त करने और रोकने की कोशिश की जा रही है। दहेज के कारण स्त्री जाति को बहुत ही यातनायें सहनी पड़ती रही हैं और हमारी लड़कियों में भले ही कितने ही गुण क्यों न हों, भले ही रूपवान और पढ़ी लिखी क्यों न हों लेकिन लड़कियों के गुण और रूप आदि को न देख कर यही देखा जाता रहा है कि लड़की का बाप दहेज में कितना दे सकता है। दहेज के कारण हमारी लड़कियों को बहुत ही अपमानित होना पड़ता है और यह कुप्रथा हमारे देश और समाज के लिए एक अभिशाप बन कर रही है।

क्लाज ४ में जो नया संशोधन हुआ है उसका मैं पूरी तौर से समर्थन करती हूं। उससे किसी तरह भी किसी को झूठा कष्ट नहीं दिया जायेगा। नये संशोधन के अनुसार राज्य सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी और मेरा विश्वास है कि उसके कारण बहुत सी बुराइयां दूर हो जायेंगी और झूठी शिकायतें कम होंगी।

[श्रीमती कृष्णा मेहता]

मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि हमारी जम्मू तथा काश्मीर विधान सभा में एक दहेज निषेध बिल पास किया गया था और वह कानून के रूप में हमारे राज्य में लागू हुआ। उसके लागू होते ही अभी दो तीन ही महीने की बात है कि एक घटना घटी और वह इस प्रकार से कि एक लड़की वाला अपनी लड़की का सम्बन्ध एक किसी लड़के के साथ करना चाहता था लेकिन लड़के ने उस रिश्ते को मंजूर नहीं किया क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि वहां पर उसकी शादी हो। लड़के ने दूसरी जगह अपना विवाह कर लिया। अब पहले लड़की वाले ने उस लड़के और लड़के के पिता दोनों पर अदालत में जाकर दावा दायर कर दिया कि उससे दहेज लिया गया है। अब इस तरह की समाज में झूठी बातें यदि सामने आती हैं, खाली बदला लेने की गरज से और दुश्मनी के कारण अगर इस तरह की झूठी शिकायतें सामने आती हैं तो यह कोई अच्छी चीज नहीं होगी। इसका समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और हमारे लोगों का नैतिक स्तर गिरेगा जो कि वांछनीय नहीं है।

क्लाज २ में जहां 'दहेज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से' संशोधन किया है यह स्वीकार किया जाये। वह संशोधन वैसे तो ठीक है क्योंकि वह दहेज लिये जाने के विरुद्ध पूरी रोक लगाने की एक चेष्टा है।

दहेज किसी तरह से भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दिया जाना बन्द होना चाहिए। हमें विधेयक को इस रूप में पास करना चाहिए ताकि झूठ और चोरी के दरवाजे न खुल जायं। इसलिए हमें विचार करना है और सोच समझ कर विधेयक को इस रूप म पास करना है जिससे लोग झूठ और चोरी का आश्रय न लें वरना होने यह वाला है कि दहेज मिटेगी नहीं दहेज देने वाले देंगे और लेने वाले लेंगे लेकिन एक ऐसी बात हो जायेगी कि हर एक के सामने यह कहना पड़ेगा कि मैंने कुछ नहीं लिया और मैंने कुछ नहीं दिया। इसलिए मैं यह चाहती हूं कि सरकार को और सब माननीय सदस्यों को इस बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि जहां हम सब इस बात के लिए उत्सुक हैं कि यह दहेज प्रथा का कलंक हमारे देश और समाज के माथे पर से हट जाय वहां यह भी ध्यान रखना है कि इस विधेयक को ऐसा जटिल न बना दिया जाय जिससे लोगों का नैतिक अधपतन हो।

यह बड़े हर्ष का विषय है कि सरकार इस कुप्रथा और कलंक को समाप्त करने के हेतु यह विधेयक लाई है और आगे चल कर कुछ त्रुटियां और कमियां यदि इसमें पाई जांय तो उनको दृष्टि में रख कर संशोधन भी किये जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह विधेयक जिस रूप में एक्सप्लेनेशन के साथ पेश है वह सही दिशा में एक कदम है और हमारी लड़कियों को जो कष्ट उठाने पड़ते हैं उनको इससे राहत मिलेगी। मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं और आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

†**श्री गोरे** (पूना): एक बड़े सरल से विधेयक को पारित करने के लिए संसद् के दोनों सदनों का सम्मिलित सत्र हो रहा है। प्रश्न केवल इतना है कि दहेज प्रथा को रोका जाय। मैं जब कुछ माननीय सदस्यों को यह कहते हुए सुनता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कोई कानून बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि यदि समाज सुधारक इस कानून का लाभ उठाना चाहेंगे तो इससे उनके हाथ बहुत मजबूत होंगे। हमें यह अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए कि यदि हमारे समाज सुधारक तथा राजनीतिक कार्यकर्ता इस विधेयक से किनारा

†मूल अंग्रेजी में

करेंगे, तो हम इसका पूरा लाभ नहीं उठा सकेंगे। यदि हम ठीक भावना से इस दिशा में आगे बढ़ते रहेतो यह आशा की जा सकती है कि आने वाले १०, १५ वर्षों में इस प्रथा का समाप्त होना सम्भव हो जायेगा। मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास किया जाना चाहिए।

मेरा निवेदन है कि शब्द 'प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में' रखे जाने चाहिएं। मेरा कहना है कि यदि हम इस दिशा में सचमुच ही कुछ करने के इच्छुक हैं तो हमें इस विधेयक को यथासम्भव त्रुटि-हीन बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। जहां तक परन्तुक का सम्बन्ध है, इस मामले में राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति की बात हटा दी जानी चाहिए। हम प्रथम श्रेणी के अथवा द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट को इस सम्बन्ध में अधिकार दे सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था कानून में होनी चाहिए कि सामान्य व्यक्ति सरकारी अधिकारी तक बिना किसी कठिनाई के पहुंच सके। इन शब्दों से मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं। हम सब को इसे सफल बनाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए।

श्रीमती शारदा भार्गव (राजस्थान) : आज का दिन एक मुबारिक दिन है जब कि हम समाज के माथे पर लगा एक कलंक का टीका धोने जा रहेहैं। यह डावरी सिस्टम एक अभिशाप के रूप में हमारे समाज में प्रचलित रहा है। इसको आज हम खत्म करने जा रहेहैं। इस विधेयक के पास कर देने के बाद एक बहुत बड़े दोष को हम समाज में से निकाल फेंकेंगे। यह प्रथा लड़कियों की शादियों के रास्ते में बहुत बाधक रही है और इन बाधा को हम दूर करने जा रहे हैं। इस वास्ते आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि दहेज प्रथा बहुत बुरी प्रथा है और समाज के लिए बड़े सिरदर्द का कारण रही है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि चाइल्ड मैरेज के बारे में जो कानून पास हुआ है वह बेकार साबित हुआ है। मैं मानती हूं कि उस कानून से जितना लाभ होना चाहिए था नहीं हुआ है। मगर जब यह कहा जाता है कि चाइल्ड मैरेज के बारे में जो कानून है, वह बिल्कुल ही बेकार साबित हुआ है, तो मैं इससे सहमत नहीं हो सकती वैसे तो कोई भी सामाजिक कुप्रथा केवल कानून बना देने से बन्द नहीं हो सकती है। लेकिन अगर यह कहा जाता है कि कानून पास ही नहीं किया जाना चाहिए तो यह भी गलत बात होगी। कानून पास कर के भी और समाज में इस तरह की शिक्षा देकर भी कि जिस चीज के बारे में कानून पास किया गया है वह बुरी है और उसका अन्त होना चाहिए हमें अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिये। यहां पर यह भी कहा गया है कि दहेज प्रथा का अन्त करने के लिए सोशल वर्कर्ज़ जाकर लोगों को समझायें, सत्याग्रह करें तथा दूसरे उपायों का सहारा लें। यह सब कुछ हो सकता है। मगर सब से बड़ी बात यह है कि वे युवक जिनकी शादियां होने वाली हैं, वे अगर इस चीज को हाथ में ले लें, तो इस प्रथा को बहुत जल्दी और बहुत शीघ्रता के साथ समाप्त किया जा सकता है।

हमारे भाइयों ने यह भी कहा है कि शादी के समय सास और ननद बहुत ज्यादा दहेज मांगती हैं और चाहती हैं कि दहेज आए। इस बात को मैं कुछ हद तक मान लेती हूं लेकिन सास और ननद के अतिरिक्त ससुर और ज्येष्ठ भी बहुत हद तक दोषी हैं और वे भी चाहते हैं कि दहेज आए। ससुर कहने को तो कहता है कि, मैं इसको बहुत बुरा मानता हूं लेकिन क्या बतायें, सास ही दहेज मांगती है इसलिए दहेज लेना पड़ता है। मैं समझती हूं कि इस तरह की झूठी बातें करने से कोई लाभ नहीं है। दिल में तो वे भी यह चाहते हैं कि दहेज मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। मैं कहती हूं कि अगर पुरुष वर्ग यह कह दे कि दहेज नहीं लेना है तो वह कभी नहीं लिया जाएगा। औरतों के

[श्रीमती शारदा भार्गव]

ऊपर इसका दोष डालना और इस तरह कहना कि वे ही चाहती हैं इसलिए लेना पड़ रहा है, बहानेबाज़ी है । इस वास्ते मैं समझती हूं कि कानून द्वारा इसको बन्द करना बहुत जरूरी है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि अब जब कि हम इस बिल को सम्मिलित सत्र में पास करने जा रहे हैं तो हमें इस बात को भूल जाना चाहिए कि लोक-सभा ने क्या पास किया और राज्य सभा ने क्या पास किया था । हमें केवल इस चीज को ध्यान में रख कर अपनी राय जाहिर करनी चाहिए कि कौन से क्लाज़ या कौन से संशोधन ज्यादा अच्छे हैं । अगर राज्य सभा के माननीय सदस्यों को लोक-सभा के माननीय सदस्यों के संशोधन ज्यादा अच्छे लगें तो उन्हें उनको स्वीकार कर लेना चाहिये और अगर लोक-सभा के माननीय सदस्यों को राज्य सभा के द्वारा स्वीकृत संशोधन ज्यादा अच्छे लग तो उनको उन्हें मान लेना चाहिये । हमें केवल यही ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से संशोधन ज्यादा उपयोगी हैं । यह बात नहीं होनी चाहिए कि जो कुछ हमारे हाउस ने पास किया है वही होना चाहिए । हमें चाहिये कि जो चीज़ इस कुप्रथा को दूर करने में अधिक सहायक होती हो, उसको हम स्वीकार कर लें ।

यहां पर डायरेक्टली और इंडायरेक्टली का संशोधन आया है । मैं इसका हृदय से समर्थन करती हूं । दहेज देना बहुत बुरी चीज है और लेना भी । मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं उस एक्सप्लेनेशन के लिए जो उन्होंने जोड़ा है । मैं उसका समर्थन करती हूं । वह बहुत सही चीज़ है । इसका क्या कारण है यह मैं आपके सामने रखना चाहती हूं । दूसरी धारा में साफ़ साफ़ लिख दिया गया है कि शादी की शर्त के रूप में जो चीज़ या धन दिया जाएगा वह दहेज माना जाएगा और शर्त के अलावा जो कुछ दिया जायेगा वह दहेज नहीं माना जाएगा । यह चीज साफ साफ क्लाज २ के अन्दर लिखी हुई है और जो स्पष्टीकरण दिया गया है वह केवल इस क्लाज को साफ़ करने के लिए दिया गया है । इसके खिलाफ यह कहा जाता है कि अगर एक्सप्लेनेशन को मान लिया जाएगा तो लोग कई बहानों से बहुत सी चीज़ें दे देंगे और अगर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो नहीं दे पायेंगे । अगर क्लाज २ को बिना एक्सप्लेनेशन के ही रखा जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि जो पढ़े लिखे हैं जो चालाक हैं, जो टैक्नीकल लैंगुएज को समझते हैं वे शादी की शर्त के रूप में दी जाने वाली चीजों के अलावा सब कुछ दे सकते हैं लेकिन जो लोग लीगल लैंगुएज को, टेक्नीकल लैंगुएज को नहीं समझते हैं, उनको तकलीफ होगी । वे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको विवाह के समय वकील से पूछना पड़ेगा कि दूसरी धारा का क्या मतलब है, और क्या दिया जा सकता है क्या नहीं दिया सकता है और इससे उनको तकलीफ होगी । वकील उनको इस चीज़ को समझायेगा, तब उनकी समझ में यह चीज आयेगी । वह उनको कहेगा कि कुछ भी दिया जा सकता है लेकिन वह शादी की शर्त के रूप में नहीं होना चाहिये । इस वास्ते मैं समझती हूं कि जब तक हम दूसरी धारा को रखते हैं जिसके अन्दर यह है कि शादी की शर्त के अलावा सब कुछ दिया जा सकता है तब तक इस एक्सप्लेनेशन का रहना ज्यादा उपयोगी होगा और लोग अंधेरे में नहीं रहेंगे । जब आप एक्सप्लेनेशन दे देंगे तो लोग समझ जायेंगे कि यह यह चीज़ हम अपनी खुशी से दे सकते हैं । या तो आप धारा २ को ही न रखें और कह दें कि शादी के समय कुछ भी देना ही डावरी है और अगर इस धारा को इसी प्रकार रखते हैं तो एक्सप्लेनेशन का होना बहुत जरूरी है । इससे कोई धोखे में नहीं रहेगा और चीज साफ हो जाएगी । जो लोग यह कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन के होने से ज्यादा दिया जाएगा उनकी बात मेरी समझ में नहीं आती है । अगर एक्सप्लेनेशन को हटा दिया जाएगा तो शायद वह समझते हैं कि इसका यह मतलब हो जाएगा कि कुछ भी नहीं दिया जा सकता है, जो कि गलत है । अगर वे ऐसा समझते हैं तो मुझे ताज्जुब होता है । कैसे यह समझा जा सकता है कि कुछ भी नहीं दिया जा सकता है ?

हमारे यहां लड़कियों की शादियां १४—१५ वर्ष की उम्र में हो जाती हैं। जिस समय वे ससुराल जाती हैं उस समय यदि यह सोच लिया जाय कि कुछ भी नहीं देना है तो इस का मतलब यह हुआ कि साढ़ी भी वह अपने घर की पहिन कर नहीं जा सकती है और अगर ऐसा है तो यह बहुत ही गलत चीज है। क्या यह सम्भव है कि लड़की को ससुराल भेजते समय उस को साढ़ी पहनने की भी जरूरत नहीं है। ससुराल से ही साढ़ी भी पहनने को मंगाई जाय और पिता पर उसका उस समय साढ़ी लेने का भी हक न रहे। क्योंकि अगर कोई भी चीज देने की कतई मुमानियत हो जाती है तो इस का मतलब यह होगा कि अगर वह साढ़ी पहन कर भी जाती है तो वह डावरी समझली जायेगी। ईस वास्ते मैं समझती हूं कि धारा २ का मतलब साफ है और जो स्पष्टीकरण किया गया है उस का भी मतलंब साफ है। इस का मतलब यह है कि शादी की शर्त के रूप में दी गई कोई चीज ही डावरी समझी जायेगी, दूसरी चीजें नहीं। अगर एक्स्प्लेनेशन को आप नहीं रखते हैं तो जो कम पढ़े लिखे हैं जो लीगल लैंगुएज को नहीं समझते हैं, उनको तकलीफ होगी और जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। वे क्लाज २ से ही यह पता चला लेंगे कि शादी की शर्त के रूप में कुछ नहीं दिया जाना चाहिये। इस वास्ते मैं समझती हूं कि ला मिनिस्टर साहब ने एक्स्प्लेनेशन दे कर इस सारी चीज को साफ कर दिया है और बता दिया है कि धारा २ से उन का क्या मतलब है। मैं इस धारा का तथा एक्सप्लेनेशन का हृदय से समर्थन करती हूं और चाहती हूं कि यह एक्सप्लेनेशन जरूर रहे। इस चीज को स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है और अगर इस को स्पष्ट नहीं किया जाता है तो लोगों को परेशानी होने के अलावा कुछ नहीं होगा।

इस विधेयक में सजा के लिये धारा रखी गई है। विधेयक आप कोई भी स्वीकार कर लें, अगर उस में सजा कोई नहीं रखी जाती है तो वह विधेयक बेकार हो जाता है। सजा देना बहुत जरूरी है। इस धारा के लिये जो प्रावाइजो रखा गया है उस का भी मैं समर्थन करती हूं। यहां पर हैरासमेंट की बात कही गयी है। हैरासमेंट की कम गुंजाइश हो, इस के लिये राज्य सरकारों को सोचने का मौका दिया गया है कि अगर कोई मुकदमा करे तो राज्य सरकार यह देख ले कि उस मुकदमे में सचमुच कुछ तत्व है या केवल दुश्मनी की बिना पर मुकदमा किया जा रहा है। अतः सजा देने वाली चौथी धारा को जिस रूप में अब रखा गया है उस का मैं समर्थन करती हूं और मैं समझती हूं कि इस के इस रूप में पास हो जाने से खाम ख्वाह किसी को परेशान करने वाली बातें दूर हो जायेंगी।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि किसी भी सोशल ईविल को दूर करने के लिये केवल बिल पास कर देना ही काफी नहीं होता है।

[श्री एस० वि० कृष्णमूर्त्ति राव पीठासीन हुये]

असल में जो भी सामाजिक कानून बनाये जाते हैं वे इसलिये बनाये जाते हैं कि जो लोग कानून से डरते हैं या जो लोग कानून पर चलते हैं, उसको मानते हैं, उन के ऊपर कम से कम कुछ असर तो पड़ेगा। चोरों पर तो कभी भी कानून का असर नहीं होता। उन के खिलाफ जितने भी कानून आप बना दें, कोई लाभ नहीं हो सकता है। वे चोरी तब तक करते ही जायेंगे जब तक कि पकड़े नहीं जाते।

मैं इस पूरे बिल का समर्थन करती हूं और आशा करती हूं कि जिस प्रकार से इस को ला मिनिस्टर साहब ने पेश किया है और जो संशोधन प्रस्तावित किये हैं उनको उसी रूप में स्वीकार कर लिया जायेगा। आशा है यह बिल हमारी समाज के लिये बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** (जोरहाट): जिस विधेयक को अन्तिम रूप में पारित करने के लिये यह संयुक्त सत्र हो रहा है उस पर १९५९ से लेकर आज तक कई रूपों में चर्चा हो चुकी है। मैं इस बात को स्वीकार करती हूं कि केवल कानूनों से ही सामाजिक बुराइयों को समाप्त नहीं किया जा सकता। फिर भी इस बात से तो इन्कार नहीं किया जा सकता कि कानून का शिक्षणात्मक महत्व होता ही है। और अन्ततोगत्वा समाज पर सामूहिक तौर पर उसका अच्छा ही प्रभाव होता है। मैं इस विधेयक को स्त्रियों के उद्धार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानती हूं। इस का प्रभाव क्या रहता है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा, परन्तु मेरा विश्वास का इस का प्रभाव बहुत अच्छा ही रहेगा। और यदि संसद् के दोनों सदनों के ७०० सदस्य इसे सफल बनाने पर तुल जायेंगे तो यह अवश्य सफल होगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि इस विधेयक को भारत के सभी नागरिकों पर लागू किया जाना चाहिये, चाहे वे किसी भी धर्म के अनुयायी हों। विवाह के अवसरों पर बहुमूल्य उपहार तथा शाही स्वागत करने की परिपाटी को भी हटाना चाहिये। कम से कम इसे प्रोत्साहन तो नहीं देना चाहिये।

मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि मैं इस बात से सहमत हूं कि "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष" रूप से शब्दों को खंड में रखा जाना चाहिये। खंड ४ के परन्तुक को स्वीकार किया जाना चाहिये। खंड २ के स्पष्टीकरण को निकाल दिया जाना चाहिये, क्योंकि इस के रहने से विधेयक का महत्व नष्ट हो जायेगा। इन शब्दों से मैं विधेयक का हार्दिक समर्थन करती हूं।

†**डा० डब्ल्यू० एस० बार्लिंगे** (महाराष्ट्र) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु मेरा मत यह है कि जब तक हमारे समाज में धनी मानी व्यक्ति को एक गरीब व्यक्ति की अपेक्षा अधिक सम्मान प्रदान करने की मान्यता न बदली जाये तब तक दहेज की बुराई को समाप्त नहीं किया जा सकता। केवल मात्र विधेयक को पारित कर देने मात्र से इस विधान का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा।

जैसे कि इस से पूर्व कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि खंड २ में 'प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से' ये शब्द रहने चाहियें मैं इस से पूर्णतः सहमत हूं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि खंड के वाक्य विन्यास में सुधार किया जाना चाहिये। मैं इस मामले में श्री पी० एन० सप्रू से सहमत नहीं।

मेरा कहना है कि दहेज की मांग ही इस बुरी प्रथा की जड़ है जिसे दंडनीय बनाया जाना चाहिये। विधि का सिद्धान्त है कि किसी से अन्याय नहीं होना चाहिये चाहे उस के लिये अपराधियों को क्यों न मुक्त करना पड़े। इस दृष्टि से विधि उपमंत्री महोदय ने जो मूल खंड में संशोधन प्रस्तुत किया है वह बहुत ही अच्छा किया है। यह गलत है कि इससे कठिनाइयां बढ़ेंगी। मेरे विचार में संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये। इन शब्दों से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री नि० बि० माईति** (घाटल): मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों सहित इस विधेयक का पूर्ण रूपेण समर्थन करता हूं।

खंड २ में राज्य सभा द्वारा 'प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से' इन शब्दों से विधेयक के उपबन्ध और अधिक स्पष्ट हो गये हैं। अतः निवेदन है कि इन शब्दों को विधेयक में रहने दिया जाये।

जहां तक स्पष्टीकरण संख्या १ का सम्बन्ध है, उस में विवाह के बदले में किये गये 'लेन देन और 'उपहार' इनका अन्तर स्पष्ट कर दिया गया है। अतः इस स्पष्टीकरण को भी विधेयक में रहने दिया जाये।

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक खण्ड ४ का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि उस में सरकार द्वारा प्रस्तावित किये गये परन्तुक के कारण द्वेष भावना या बदला लेने की भावना से शिकायत करने की गुंजाइश न रहेगी। अतः यह परन्तुक स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री शील भद्र याजी (बिहार) : उपसभापति महोदय, इस डाउरी प्राहिब्शन बिल की क्या उपयोगिता है इस पर बहुत सी तकरीरें हुईं। मैं उस की उपयोगिता पर कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन इस विधेयक पर और इस की तरमीम पर बोलते हुए जो हमारे ला मिनिस्टर साहब ने तकरीर की उस से हम लोगों को बहुत दुःख हुआ। हिन्दुस्तान के ला मिनिस्टर साहब यदि किसी विधेयक को सदन के समक्ष रखते हैं और इस तरह की घोषणा करते हैं कि यह बिल ठीक तरीके से काम नहीं करेगा तो हिन्दुस्तान की तमाम जनता पर जो कि ला को मानने वाली है उस का बुरा असर पड़ सकता है। मेरी समझ में उन को इस तरीके से कहना नहीं चाहिये था।

जहां तक राज्य सभा या लोक-सभा की तरमीमों का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि दोनों सदनों का समन्वय होना चाहिये। राज्य सभा ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दहेज देने की जो बात की है उस को मान लेना चाहिये। इसके अलावा लोक-सभा ने जो क्लाज २ में एक्सप्लेनेशन जोड़ा है उसको बिलमें से हटा देना चाहिये। क्योंकि यह स्पष्टीकरण एक तरह से डाउरी की डिमांड को लीगेलाइज करने के बारे में है यदि वह विधेयक में रहने दिया जाता है और जिस के कि द्वारा लोगों को दहेज देने की छूट दी गई है तो मैं समझता हूं कि उस एक्सप्लेनेशन के साथ इस बिल को पास करने से तो बेहतर यह होगा कि यह बिल ही वापिस ले लिया जाय। एक्सप्लेनेशन नम्बर १ के जरिये हम डाउरी को लीगेलाईज कर रहे हैं और इस को रख कर एक तरीके से एक हाथ से जो बिल हम जनता को दे रहे हैं दूसरे हाथ से उस को वापिस लिये ले रहे हैं। एक्सप्लेनेशन का पेट इतना बड़ा है कि जिस की कि कोई हद नहीं और उस के अन्दर कैश, औनमिंट्स, कपड़े लत्ते, हाथी घोड़े कुछ भी दिये जा सकते हैं। मेरे विचार में यदि उस एक्सप्लेनेशन को बिल में जोड़ दिया जाता है तो फिर यह डाउरी प्राहिब्शन बिल बेकार हो जाता है और उस से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है।

अब यह जो नजराने और गिफ्ट्स वगैरह लड़कियों को देने की बात चलती है तो जब लड़की को हिन्दू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक जायदाद में हिस्सा भी मिल सकता है तो शादी के बाद अगर लड़की को कोई चीज देना चाहे तो उस को कोई रोकने वाला नहीं है। अभी हमारी एक बहिन सदस्या ने कहा कि उस को स्पष्टीकरण करने से साड़ी नहीं मिलेगी। अब लड़की साड़ी पहिन कर ही तो बैठेगी। बिना साड़ी पहिने वह कैसे शादी में बैठेगी। अब साड़ी को कैसे नजराना करार दिया जा सकेगा? इसलिये इस तरीके की बात करने से काम चलने वाला नहीं है।

एक्सप्लेनेशन १ को इस बिल से हटा देना चाहिये वरना इस बिल की जान ही निकल जाती है और यह बेकार हो जाता है।

इस के अलावा श्री हजरनवीस ने जो प्राविजो रक्खा है मैं समझता हूं कि उस प्राविजो की कोई जरूरत नहीं है। आज जो हमारे सदस्यों को यह आशंका है कि इस तरह के सोशल कानूनों की अवज्ञा होती है उसकी वजह यह है कि शारदा एक्ट और उसी तरह के दूसरे कानूनों में आपने पुलिस को पावर्स नहीं दी थीं। इस एक्ट में भी आप पुलिस को पावर नहीं दे रहे हैं। अब जब पुलिस सारे देश पर शासन कर सकती है, बड़े बड़े हत्या के केसों को पकड़ सकती है तो कोई कारण नहीं है कि वह इस एक्ट का ठीक तरह से अमल न करा सके और औफेंडर्स को सजा न दिला सके। लेकिन यदि आप पुलिसको पावर नहीं देते हैं तो फिर माननीय सदस्यों की जो आशंका है कि इस कानून की अवज्ञा होगी वह गलत नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं दहेज मांगने पर जो सजा देने का प्राविजन है वह जरूर रहना चाहिये और जो श्री हजरनवीस ने प्रोविजो जोड़ना चहा है उस को हटा देना चाहिये और उस को न जोड़ना चाहिये। ऐसा होने से ही मैं समझता हूं कि यह बिल सार्थक हो सकेगा।

[श्री शीलभद्र याजी]

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और राज्य सभा और लोक सभा दोनों हाउसेज के माननीय सदस्यों से यह अपील करता हूं कि वे आपस में सामंजस्य करें। जो हमारे दो अमेंडमेंट्स हैं उनको स्वीकार कर लिया जाय और उनका डाउरी डिमांड को जो पीनेलाइज करने का सुझाव है उसको हम मान लें। इसके साथ ही श्री हजरनवीस का प्राविजो जोड़ने वाला अमेंडमेंट है उसको हम दोनों मिल कर नामंजूर कर दें। ऐसा करने से ही यह बिल सार्थक होगा और जो मकसद हम हासिल करना चाहते हैं वह पूरा हो सकेगा। हम समझते हैं कि इस सम्बन्ध में पुलिस को काफ़ी पावर देनी चाहिए।

यदि शारदा एक्ट में पुलिस को काफ़ी पावर दे दी जाती, तो उसकी दुर्गति न होती। इस बिल में जो मैजिस्ट्रेट के विषय में व्यवस्था की गई है, उससे काम चलने वाला नहीं है। यह पुलिस का काम है। पुलिस पर ही सुरक्षा और व्यवस्था का भार है, इसलिये उस को पावर दी जानी चाहिये कि वह तिलक, दहेज देने वाले और लेने वाले को पकड़ सके। यदि पुलिस को काफ़ी पावर दी गई, तभी यह कानून सार्थक हो सकेगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश और समाज में इस कानून की बड़ी ज़रूरत है। कुछ बुजुर्ग सदस्यों ने इस के विरोध में कहा है। माननीय सदस्य, श्री सप्रू, ने तो पुराने ज़माने की बात कही है कि इस कानून की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं उन से मुत्तिफ़िक नहीं हूं। मैं आशा करता हूं कि जो बुजुर्ग सदस्य इस को मानने के लिये तैयार नहीं हैं, वे इस को मानेंगे। यदि राज्य सभा की अमेंडमेंट्स को और दहेज मांगने को पीनलाइज़ करने सम्बन्धी लोक सभा की अमेंडमेंट को स्वीकार किया जायगा, तो यह विधेयक सही मानों में अच्छा हो सकेगा। इस कानून के बनने से जनता पर काफ़ी नैतिक असर पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि कम से कम पार्लियामेंट के मेम्बर और समाज-सेवी आदि अब तिलक दहेज़ की बात नहीं करेंगे।

आखिर में मैं फिर पुरज़ोर अपील करता हूं कि माननीय सदस्य एक स्वर से इस बिल को पास कर के इस सामाजिक कुरीति को दूर करने की चेष्टा करेंगे।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं उन सभी माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूं जिन्होंने इस विधेयक की चर्चा में भाग लिया है और इसके सिद्धान्तों का समर्थन किया है। इस सम्बन्ध में अभिव्यक्त किये गये मतभेद को हमें दूर करने का यत्न करना चाहिये। मैंने खण्ड २ में "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से" इन शब्दों को रखने और खण्ड ४ में परन्तुक को लागू करने के सम्बन्ध में जो कहा था उसके विरोध में जो बातें कही गई हैं, मैं उनका उत्तर दूंगा। उसके अतिरिक्त मैं खण्ड २ के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में भी कुछ प्रकाश डालूंगा।

मैं इस बात पर भी प्रकाश डालूंगा कि स्पष्टीकरण के विपक्ष और पक्ष में क्या क्या मत प्रकट किये गये हैं। मैंने यह स्पष्ट रूप से समझा दिया है कि मेरे मतानुसार स्पष्टीकरण होने या न होने का विधेयक के मूलरूप पर कोई असर नहीं पड़ता। जिन माननीय सदस्यों ने उस स्पष्टीकरण को हटा देने पर जोर दिया है, उनके दृष्टिकोण की भी सराहना करनी चाहिये, क्योंकि उनके दृष्टि-कोण का इस आधार पर पूर्णतया निराकरण नहीं किया जा सकता कि स्पष्टीकरण से उन लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा जो कानून को तोड़ना चाहते हैं। परन्तु मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि जहां तक सरकार या मेरा अपना सम्बन्ध है, हम स्पष्टीकरण संख्या १ को रखने या हटा दिये जाने के सम्बन्ध में पूर्णतया निष्पक्ष हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा भी यह स्पष्ट कर दिया गया था कि माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में अपना मत देने की पूरी स्वतंत्रता होगी। परन्तु श्री शीलभद्र याजी ने यह निराधार ही कह दिया है कि विधि मंत्री ने यह कहा है कि यह कानून लागू नहीं किया जा सकता। मैं ने यह नहीं कहा था। मैं ने माननीय सदस्यों को यह स्पष्ट करने का यत्न किया था कि किसी भी ऐसे विधान को सफलतापूर्वक लागू करने की क्या संभावनायें हो सकती हैं, जिसके द्वारा किसी अत्यन्त प्राचीन और देश व्यापक सामाजिक समस्या को हल करने का यत्न किया जाये। यदि मैं माननीय सदस्यों को यह न बताता कि इस प्रकार के कानून को लागू करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा तो यह समझा जाता कि मैं ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। मैं ने यह कहा था कि :—

"हमें यह पूर्णतया समझ लेना चाहिये कि स्पष्टीकरण संख्या १ के बिना भी उस कानून का उल्लंघन करने वालों की संख्या पर्याप्त होगी और जो उल्लंघन करना चाहते हैं उन्हें स्पष्टीकरण १ की जरूरत ही नहीं है। वे स्वयं अपने आप से ही या अन्य लोगों से प्रोत्साहन मिलता रहेगा। इसलिये यदि यह सोचा जाये कि स्पष्टीकरण संख्या १ से इसका उल्लंघन समाप्त हो जायेगा, तो मैं यही कहूंगा कि मैं उन लोगों के मत से सहमत नहीं हूं जो कि स्पष्टीकरण संख्या १ को हटा देने के पक्ष में हैं।"

मैं यह बात फिर से कह देना चाहता हूं कि स्पष्टीकरण संख्या १ को हटा देने से उल्लंघन की घटनायें कम नहीं होंगी। मैंने यह कहा था कि :—

"हमें यह बात स्पष्टतया समझ लेनी चाहिये कि इस कानून के पास हो जाने के बावजूद भी उसका उल्लंघन करने वाले लोग उल्लंघन करते ही रहेंगे। केवल इस अधिनियम के पास कर देने मात्र से दहेज प्रथा समाप्त नहीं हो जायेगी। परन्तु फिर भी हम इस कानून को पास कर रहे हैं ताकि उससे जनता की विचारधारा में कुछ अन्तर आयेगा और जो यह सोचते हैं कि वे बिना किसी भय या संकोच के दहेज के रूप में जो भी चाहें मांग सकते हैं, अब मांगने में संकोच करेंगे क्योंकि कानून उनके विरुद्ध होगा और जनता की विचारधारा विरुद्ध होगी।"

मैं ने जो कुछ भी कहा था उस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता। मैं यह बात विश्वासपूर्वक और नम्रता से कह देना चाहता हूं कि अपना कर्तव्य निभाने के लिये मुझे यही बात कहनी चाहिये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : प्रश्न यह है कि क्या स्पष्टीकरण के बिना उचित उपहार परिभाषा में सम्मिलित होंगे ?

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं ने पहले भी बताया है कि उचित उपहार तो इस स्पष्टीकरण के बिना भी दण्ड से मुक्त हैं। यह समझना गलती है कि बिना स्पष्टीकरण के स्वाभाविक प्रेम से दिये हुए उपहारों के कारण भी दण्ड दिया जायेगा।

†**श्री भूपेश गुप्त** : यह स्पष्टीकरण तो इसलिये है कि कोई सन्देह न रहे।

†**श्री अ० कु० सेन** : मुझे तो कोई भी सन्देह नहीं है, परन्तु फिर भी यह स्पष्टीकरण उन लोगों के कहने पर रखा गया है जिनके मन में कुछ सन्देह था। लोक सभा के सदस्यों के कहने पर ही यह स्पष्टीकरण रखा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ए० डी० मणि (मध्य प्रदेश): क्या इस स्पष्टीकरण को हटा देने से विधेयक कमज़ोर पड़ जायेगा ?

†श्री अ० कु० सेन : जी, नहीं । मूल रूप में विधेयक में कोई फरक नहीं पड़ेगा ।

†पंडित ठाकुर दास भार्गव : साक्ष्य अधिनियम की धारा ११५ का क्या बना है ? आपने स्वयं ही यह खण्ड तथा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है और अब स्वयं उसे छोड़ रहे हैं ?

†श्री अ० कु० सेन : मेरा यही मत है कि स्पष्टीकरण का और कोई लाभ नहीं है, सिवाय इसके कि यह उन बातों को और अधिक स्पष्ट कर देता है जो कि विधेयक में पहले ही समझा दी गयी हैं । लोक सभा ने यह स्पष्टीकरण जोड़ा और मैंने इस वक्तव्य से कि सरकार किसी भी दृष्टिकोण के लिए वचनबद्ध नहीं है, दोनों दृष्टिकोणों में सामंजस्य स्थापित करने की बात सोची । मैं ने केवल इतना ही कहा था, और मैं नहीं समझ पाता कि इस प्रकार का रास्ता कोई मंत्री क्यों नहीं अपना सकता । इसलिए मुझे सिर्फ कुछ सामान्य बातों के बारे में और इस प्रश्न के बारे में कि यह परन्तुक रखा जाना चाहिये या नहीं, उत्तर देना है ।

जो लोग इस विधेयक के विरुद्ध हैं मैं उनके तर्क नहीं समझ पाया । उनके तर्क का आधार यह था कि चूंकि केवल विधान बनाने से दहेज प्रथा समाप्त नहीं की जा सकती और इस कानून को वास्तव में प्रभावशाली बनाने के लिए दृढ़ जनमत की आवश्यकता होगी, इसलिए यह कानून बनाना निरर्थक है ।

मैं इस बात में विश्वास नहीं करता कि सामाजिक बुराइयों की समाप्ति केवल लोकमत पर छोड़ दी जाये । वास्तव में सभी देशों में और खासकर इस देश में भी हमारा यह अनुभव रहा है कि सामाजिक सुधार के कई मामलों में विधान जनमत से कहीं आगे बढ़ गया है । हम यह न भूलें कि विधान भी, सामाजिक तथा आर्थिक आयोजन की तरह, भावी जीवन से सम्बन्धित होता है और यदि भविष्य के लिए कोई योजना बनानी है तो एक ऐसी सामाजिक स्थिति निर्माण करनी होगी, दृढ़ लोकमत निर्माण करना होगा जो न केवल वर्तमान विधान बल्कि प्रत्येक दांडिक [illegible] की सफलता के लिए आवश्यक होगा । विधान पास करने का यह अर्थ नहीं होता कि अपराध होंगे ही नहीं, फिर भी विधान पास किये जाते हैं । आज दहेज के सम्बन्ध में विधि द्वारा कोई आचरण निर्धारित नहीं है । समाज में मनुष्यों के आचरण व व्यवहार सम्बन्धी नियम स्थापित करने के लिए दंड सम्बन्धी कानूनों का होना आवश्यक है । इस कानून से दहेज के मामले में कम से कम एक व्यवहार-सिद्धान्त, तो अवश्य निर्धारित हो जायगा और इस कानून के पास हो जाने के बाद दहेज एक गैर-कानूनी बात हो जायगी । मुझे इस में जरा भी सन्देह नहीं है कि इस कानून से, पहले के अन्य सामाजिक विधानों की तरह, उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा और हमारी सामाजिक विचारधारा की दिशा ही बिलकुल बदल जायगी । अतः मैं इस बात से बिलकुल सहमत नहीं हूं कि यह विधान पास ही नहीं किया जाना चाहिये । यह विधेयक इसलिए भी अत्यन्त आवश्यक है कि यह दहेज के विरुद्ध लोकमत निर्माण करने में सहायक होगा । लोकमत से ही इस सामाजिक कुप्रथा को अन्तिम रूप से समाप्त किया जा सकता है ।

अब अगले परन्तुक का प्रश्न है जो वास्तव में यहां भी एक मुख्य विवाद का प्रश्न बन गया है । खंड २ में "प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से" ये शब्द कायम रखने में असहमत होने की कोई बात नहीं है यद्यपि मेरे माननीय मित्र श्री वाजपेयी ने कहा कि ये शब्द नहीं रहने चाहियें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड ४ का परन्तुक दोनों अतिवादी दृष्टिकोणों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिये हैं। एक दृष्टिकोण यह है कि दहेज की मांग को दंडनीय बनाया जाये और दूसरा यह कि यद्यपि दहेज की मांग को दंडनीय बना कर रोकना वांछनीय है, फिर भी केवल मांग के कारण ही लड़कों के पिता या संबंधियों के विरुद्ध झूठे तथा निराधार मामले दायर करने के लिये रास्ता खुल जायेगा। यह कहा गया था कि दहेज लेने की दशा में पूर्ण प्रमांण की आवश्यकता होगी और उसे अपना आरोप सिद्ध करने के लिये न्यूनतम प्रमाण तो निश्चय ही पेश करना पड़ेगा। उसे यह सिद्ध करना होगा कि सभी गहने, साड़ियां और दूसरी चीजें खरीदी गई थीं और वह दी गईं। उस तरह का कोई प्रमाण आवश्यक होगा। मैं ने यही कहा था कि कानून की दृष्टि से यह ठीक हो सकता है लेकिन इस बात को सिद्ध करने के लिये कि किसी व्यक्ति ने दहेज मांग कर अपराध किया है या नहीं, न्यायालयों को मौखिक बयानों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस कानून के बाद कोई व्यक्ति लिखित रूप में दहेज नहीं मांगेगा और न ही यह समझना उचित होगा कि लोग इतने बेबकूफ होंगे जो लिखित रूप में कोई वचन देंगे, जो इस अपराध के प्रमाण के रूप में पेश किये जा सके। इसलिये इन मामलों में न्यायालयों को गवाहों के मौखिक बयानों पर ही अपना निर्णय देना होगा कि अमुक व्यक्ति ने दहेज मांग कर कोई अपराध किया है या नहीं। उस आरोप के आधार पर किसी व्यक्ति को सजा हो सकती है और छोड़ा भी जा सकता है, फिर भी उसे कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा और धन भी खर्च करना पड़ेगा। इसलिये यह कहा गया था कि झूठे और निराधार अभियोग न चलाये जायें इसलिये सावधानी बरती जानी चाहिये। यह भी सुझाव दिया गया था कि एक ऐसी प्रणाली कायम की जाये कि केवल मांग पर आधारित शिकायत में न्यायालय हस्तक्षेप करे इस से पहले उस प्रणाली से मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक कर दिया जाये। इन दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों में सामंजस्य स्थापित करने के आशय से ही माननीय उपमंत्री ने इस परन्तुक का प्रस्ताव रखा है।

कुछ लोगों ने यह कहा था कि राज्य सरकारें इस खण्ड को लागू करने के मामले में अपने कर्तव्य का पालन शायद न करें। लेकिन यह अधिनियम तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक राज्य सरकारें अपना कर्तव्य पालन न करें क्योंकि राज्य सरकार को ही अभियोग दायर करना होगा। इसलिये यह तर्क समुचित नहीं है कि राज्य सरकारें अपना कर्तव्य पालन नहीं करेंगी। हम ने यह परन्तुक इसीलिये रखा है कि राज्य सरकार एक सामान्य आदेश या विशिष्ट आदेश द्वारा किसी पदाधिकारी को नामनिर्देशित करे जो मुकदमे की अनुमति देने से पहले शिकायतों की पूरी छानबीन करे। इस विशेष पदाधिकारी की व्यवस्था करने का मुख्य आशय यह था कि दूर के जगहों में या भीतरी स्थानों में जो जिला दफ्तरों या मुख्य कार्यालयों से बहुत दूर हैं, गांवों के साधारण लोग सहूलियत से आवश्यक पदाधिकारी के पास पहुंच सकें। इसी कारण हम ने एडवोकेट जनरल या जिला मजिस्ट्रेट या किसी पहले दर्जे के मजिस्ट्रेट का उल्लेख नहीं किया है क्योंकि दूर के गांवों में साधारण ग्रामवासियों को उस प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। हो सकता है कि जहां उस मजिस्ट्रेट के पास पहुंचना आसान हो, वहां राज्य सरकार उसे नामजद कर दे। इस परन्तुक के विरुद्ध तर्क इस भ्रामक विश्वास पर आधारित है कि इस में केवल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट ही नियुक्त किये जायेंगे। वास्तव में इस के अधीन, अन्य व्यक्ति भी नियुक्त किये जा सकते हैं जहां प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हों। अतः मैं इस आलोचना को समझने में असमर्थ हूं कि प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट काम न कर सकेंगे। इस के विपरीत, यदि राज्य सरकार चाहे तो वह किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट या किसी अन्य पदाधिकारी को उस विशिष्ट स्थान

[श्री अ० कु० सेन]

में जहां कोई मैजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो, नियुक्त कर सकती है । इसलिये यह परन्तुक रखने से जिस के अधीन केवल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट ही काम करेंगे,अभियोग चलाना और भी कठिन हो जायगा और इसलिये मैंने यह सोचा कि जिस रूप में यह परन्तुक लिखा गया है वह उन लोगों के लिये अधिक अच्छा होगा जो आवश्यक अधिकारियों के पास पहुंचने और उनसे आवश्यक सहायता प्राप्त करने के काम को और आसान बनाना चाहते हैं । अतः इस परन्तुक को कायम रखना दो भिन्न भिन्न दृष्टिकोण के बीच सब से आसान समझौता है जैसा कि माननीय विधि उपमंत्री ने अपने संशोधन में सुझाया है ।

अगला प्रश्न स्पष्टीकरण के बारे में है ।

†**श्री तजम्मुल हुसैन** : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री महोदय अपना भाषण समाप्त कर लें, उसके पश्चात् यदि कोई सदस्य स्पष्टीकरण चाहेंगे तो मैं उस की अनुमति दे दूंगा ।

†**श्री अ० कु० सेन** : जहां तक स्पष्टीकरण का सम्बन्ध है मेरे पास उससे अधिक कहने के लिये कोई विशेष बात नहीं है, जो मैंने पहले कहा था और अब कहा है । मैंने कहा था कि स्पष्टीकरण इससे अधिक कुछ नहीं कहता जो कि खंड में पहले ही मौजूद है । किन्तु 'स्पष्टीकरण' शब्द के प्रयोग से ही स्पष्ट होता है कि यह उस खंड का स्पष्टीकरण ही है, इस से अधिक कुछ नहीं । अब यह निश्चय करना माननीय सदस्यों का काम है कि स्पष्टीकरण के उद्देश्य से 'स्पष्टीकरण' को रखा जाये अथवा खंड अपने आप में ही इतना स्पष्ट है कि उसके लिये किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है ।

जहां तक मेरे उत्तर का सम्बन्ध है, वह वस्तुतः समाप्त ही है किन्तु मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा उठाई गई एक बात के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, जिसमें उन्हों ने कहा था कि हम दिखाना तो यह चाहते हैं कि हम दहेज प्रथा के विरोधी हैं किन्तु वस्तुतः हम उन सभी प्रतिबन्धों को कायम रख रहे हैं जिससे इस कुरीति को बढ़ावा मिलेगा । उनका विचार था कि हम दहेज प्रथा के विरुद्ध अपने विरोध का केवल दिखावा कर रहे हैं परन्तु उसके उन्मूलन के लिये कोई गम्भीर प्रयत्न नहीं कर रहे हैं । इस के साथ साथ उन्हों ने हमारे समाज में पत्नीत्व का मूलभूत आदर्श क्या है, इस का भी प्रसंगानुकूल उल्लेख किया था ।

पंडित ब्रज नारायण 'ब्रजेश' : श्री प्रकाश वीर शास्त्री तो आज या पिछले शनिवार को इस विषय पर नहीं बोले हैं ।

†**श्री अ० कु० सेन** : मुझे खेद है । मैं इस के लिये क्षमा चाहता हूं । मेरा मतलब श्री ब्रज नारायण 'ब्रजेश' से था । किन्तु दोनों सदस्य हिन्दी के इतने अच्छे वक्ता हैं कि एक के स्थान पर दूसरे का भ्रम हो जाता है । मैं इस के लिये हार्दिक क्षमायाचना चाहता हूं । हां, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार की आलोचना करते हुए, जैसी कि प्रायः उन लोगों द्वारा की जाती है जोकि सरकार के समर्थक नहीं हैं, पत्नीत्व के मूल आदर्श के बारे में कुछ उपयुक्त निर्देश किये थे और इस बारे में अपने विचार प्रकट किये थे कि विवाह के बारे में हमारा आदर्श क्या होना चाहिये । उन्होंने कहा था कि जब हम पत्नी को घर लाते हैं, तो एक प्रकार से लक्ष्मी को घर लाते हैं । वस्तुतः

†मूल अंग्रेजी में

उसे संस्कृत, हिन्दी, बंगाली और संविधान की अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में गृह-लक्ष्मी कहा जाता है, जिस का अर्थ है कि घर में सम्पन्नता और समृद्धि को लाया जाता है। उन्होंने यह ठीक ही कहा था उसके द्वारा सम्पत्ति अथवा उपहार के रूप में कुछ लाया जाना हमारे इस आदर्श से मेल नहीं खाता। इस सम्बन्ध में कौन मतभेद प्रकट कर सकता है ? इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। हमारी मूल मान्यता, हमारा मूलभूत आदर्श यही है, हमारी सम्पूर्ण परम्परा यही है किन्तु हम इन आदर्शों से भटक गये हैं और हम में कुछ बुराइयां उत्पन्न हो गई हैं, जिस के कारण हम आज दुर्बल हो गये हैं। हम अपने आदर्शों को केवल बार बार दुहरा कर ही प्रगति नहीं कर सकते। इन आदर्शों को प्राप्त करने के लिये कानून बनाने की भी आवश्यकता है।

इस के पश्चात् मुझे श्रीमती पुष्पलता दास की कुछ बातों के बारे में कुछ कहना है। उन्होंने डा० टैगोर की एक कविता को इस ढंग से सुनाया कि जब वह इसे पढ़ रही थीं तो कोई यह नहीं कह सकता था कि वह आसामी हैं। यद्यपि मैं अपनी मुख्य बात से जरा विषयान्तर कर रहा हूं तथापि मैं इस बात को कहे बिना नहीं रह सकता कि इससे पुनः यह बात सिद्ध होती है कि बंगालियों और असामियों में कितनी समानता है अतः उनका आपस में लड़ना कितनी बेहूदा बात है। उन्होंने कहा कि अमर नारीत्व के जिस चिरन्तन आदर्श का हम हमेशा से पालन करते आये हैं, वह दहेज की प्रथा के बिल्कुल विपरीत है। दहेज की प्रथा ने स्त्रियों का स्थान नीचा कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल हमारा आदर्श सदैव यही रहा है कि जब हम स्त्री से विवाह करते हैं तो वह हमारी सहचरी है, जब बूढ़े होते हैं तो वह हमारी पथ-प्रदर्शक होती है और जब हम युवा होते हैं तो वह हमारी माता होती है। कवि ठाकुर की कविता का उद्देश्य इसी भाव को प्रकट करना था। यदि आप यह कहते हैं कि आप जिस स्त्री से शादी करना चाहते हैं, वह आप की सहचरी नहीं और उसे समानाधिकार प्राप्त नहीं हैं तो आप को उससे विवाह नहीं करना चाहिये। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि ये मूलभूत बातें हैं और हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग हैं किन्तु फिर भी हम इनसे भटक जाते हैं और इनका दृढ़तापूर्वक पालन नहीं करते। यदि हम इन बातों का अनुसरण करते तो इस विधेयक की कोई आवश्यकता न पड़ती।

हम लोगों को एक महान् सफलता प्राप्त हुई है। परस्पर मतभेदों के बावजूद दोनों सदनों की संयुक्त सत्र में जो विचार विमर्श हुआ है उसके परिणामस्वरूप हमारे सामाजिक जीवन में इस मामले को सर्वाधिक महत्व प्राप्त हो गया है। इस सारी समस्याओं को, जो किसी समय केवल समाज सुधारकों तक सीमित थी अथवा जिसका प्रभाव सम्बन्धित माता-पिता पर पड़ता था, इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि अब इसको एक राष्ट्रीय समस्या का रूप प्राप्त हो गया है। जब संसद् के ऊपर यह जिम्मेदारी आती है कि वह इस कुप्रथा के कानूनी अस्तित्व को समाप्त कर दे। अब से इस कुप्रथा का अस्तित्व गैर-कानूनी होगा और यदि इसका अस्तित्व छद्म रूपसे होगा तो कानून उसके विरुद्ध अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ खड़ा होगा।

मुझे पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य में व्यक्तिगत यातना का इतिहास और कहानियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी और नारीत्व के बारेमें हमारे चिरसिंचित आकांक्षाओं और आदर्शों की अबाध पूर्ति हो सकेगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपील करता हूं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये।

†**श्री भूपेश गप्त** : क्या माननीय मंत्री महोदय खंड ४ के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि 'पदाधिकारी' शब्द का सही अर्थ क्या है ? कल प्रधान मंत्री महोदय ने पंचायत राज के प्रधानों

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भूपेश गुप्त]

का उल्लेख किया था । पंचायतों के प्रधानों को किसी भी तरह से सरकारी पदाधिकारी नहीं माना जा सकता । सरकार को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ।

मैं यह भी चाहता हूं कि प्रधान मंत्री और विधि मंत्री के कल के भाषणों से जो भ्रम उत्पन्न हो गया है उसे दूर किया जाये ।

†श्री तजम्मुल हुसैन : मेरा पहला प्रश्न यह है कि खंड ४ के अधीन यदि लड़की अथवा लड़के के पिता अथवा अभिभावकों से दहेज मांगा जाये तो वह दंड्य है । किन्तु यदि दुल्हन से ही दहेज मांगा जाये तो क्या होगा ? यदि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं दुल्हन से कहता हूं, "मुझे इतना धन दो ।" तब क्या होगा ?

दूसरे खंड ४ के अन्तर्गत मांग करना दंडनीय है । दंड-विधि के अन्तर्गत अपराध के लिए दो चीजें आवश्यक होती हैं—अपराधी-मनोवृत्ति और वास्तविक कृत्य । इसके बारे में उनका क्या विचार है ?

तीसरी बात यह है कि 'स्पष्टीकरण' के अनुसार उपहार दहेज नहीं माना जायेगा । क्या आप समझते हैं कि कोई यह कहेगा कि वह दहेज दे रहा है । जो कुछ दहेज दिया जायेगा, उसके बारे में यह कहा जायेगा कि यह उपहार है । यदि यह उपबन्ध विधेयक में रहा तो इससे विधेयक का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : खंड ४ के परन्तुक में उल्लिखित 'पदाधिकारी' शब्द के बारे में श्री भूपेश गुप्त ने प्रश्न पूछा है । मेरा ख्याल है कि डा० सीता परमानन्द ने अपने भाषण में कहा था कि यह अच्छा होगा यदि राज्य सरकारें गैर-सरकारी लोगों की नियुक्ति करें । मुझे यह बात स्पष्ट नहीं हुई कि क्या राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 'पदाधिकारियों' में गैर-सरकारी लोग भी शामिल होंगे । कृपया इसको स्पष्ट किया जाये ।

†श्री अ० कु० सेन : जो कुछ श्री भूपेश गुप्त ने कहा है उससे मुझे कोई मतभेद नहीं । जो कुछ प्रधान मंत्री ने कहा है उससे भी उसका कोई मतभेद नहीं । राज्य-सभा और लोक-सभा में भी कोई मतभेद नहीं है । मेरा निवेदन है कि खंड २ में स्पष्टीकरण न भी होता तब भी सद्भाव से उपहार देने पर कोई उपबन्ध नहीं था । और यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि स्पष्टीकरण निकाल भी दिया जाय तो विधेयक वैसा ही बना रहेगा । प्रश्न तो यह है कि खंड ४ जैसा कि वह है उसे इसी रूप में रखा जाय अथवा नहीं ।

वर अथवा वधू द्वारा एक दूसरे से दहेज मांगने पर उनको दंड देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । साथ ही मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह सोचना भी गलत है कि खंड ४ के परन्तुक के अन्तर्गत किसी श्रेणी के न्यायाधीशों को अधिकारी के रूप में नियुक्त न किया जायेगा । हमको यह समझ लेना चाहिए कि आत्मीयता से तथा स्वेच्छा से दिये गये उपहारों के मूल्य की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

यह संभावना बिल्कुल निराधार है कि खंड ४ के अधीन मुकदमा दायर करने के लिए अनुमति देने के लिए सरपंचों को पदाधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है । सामान्यतः राज्य के पदाधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है । सामान्यतया राज्य के पदाधिकारी ही इस काम के लिए नियुक्त किये जायेंगे पर अन्य उत्तरदायी व्यक्ति भी नियुक्त किये जा सकते हैं । मेरा मत तो इस दिशा में यह है कि यह मामला राज्य सरकारों पर छोड़ देना सब से अच्छा होगा ।

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : मैं प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि दहेज देने अथवा लेने को निषिद्ध करने वाले विधेयक पर लोक सभा तथा राज्य सभा द्वारा पारित रूप में तथा दोनों सभाओं द्वारा सहमति प्राप्त संशोधनों पर और जिन मामलों में दोनों सभायें सहमत नहीं हैं, उन पर विचार विमर्श करने के प्रयोजन से विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २--(दहेज की परिभाषा)

†अध्यक्ष महोदय : अब हम खंडवार चर्चा करेंगे। पहले खंड २ को लेंगे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने, जिसका संशोधित पाठ निम्नलिखित है :---

"2. In this Act, "Dowry" means any property or valuable security given or agreed to be given—

(a) by one party to a marriage to the other party to the marriage; or

(b) by the parents of either party to a marriage or by any other person, to either party to the marriage or to any other person;

at or before or after the marriage as consideration for the marriage of the said parties, but does not include dower or *Mahr* in the case of persons to w hom the Muslim Personal Law (*Shariat*) applies.

Explanation I.—For the removal of doubts, it is hereby declared that any presents made at the time of a marriage to either party to the marriage in the form of cash, ornaments, clothes or other articles, shall not be deemed to be dowry within the meaning of this section, unless they are made as consideration for the marriage of the said parties.

Explanation II.—The expression "valuable security" has the same meaning as in section 30 of the Indian Penal Code."

("२. इस अधिनियम में, "दहेज" का अर्थ है, कोई भी वह सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, जो

(क) विवाह के एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को, अथवा

(ख) विवाह के किसी एक पक्ष के जनकों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी एक पक्ष को या किसी अन्य व्यक्ति को ; कथित पक्षों के विवाह के विचार से, विवाह के समय, या उससे पहले या उसके पश्चात् दी गयी या दी देने के लिये तय हुई हो, परन्तु इसमें वह मेहर सम्मिलित नहीं होगा जो मुस्लिम व्यक्तिगत विधि (शेरियत) लागू होने वाले व्यक्तियों के मामले में दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

व्याख्या १—संदेह निवारण के लिये, यहां घोषित किया जाता है कि विवाह के समय विवाह के किसी पक्ष को नकदी, आभूषणों, वस्त्रों या अन्य वस्तुओं के रूप में दिये गये किसी उपहार को, इस धारा के अर्थों में, जब तक दहेज नहीं माना जायेगा जब तक कि वह कथित पक्षों के विवाह के विचार से न दिया गया हो ।

व्याख्या २—"मूल्यवान, प्रतिभूति" शब्दों का वही अर्थ लगाया जायेगा, जो भारतीय दंड संहिता की धारा ३० में अभिप्रेत है ।)"

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन (मुकन्दपुरम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ १ पंक्ति ९ के अन्त में "Given" ["दिये गये"] के पश्चात् "either direetly or indirectly" [प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से"] शब्द रखे जायें । (३)

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ १ पंक्ति ९ के अन्त में "Given" ["दिये गये"] के पश्चात् "either directly or indirectly" ["प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से"]
शब्द रखे जायें । (३)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं अपना संशोधन संख्या ५ प्रस्तुत करती हूं ।

†श्री नवाबसिंह चौहान : मैं अपना संशोधन संख्या १० प्रस्तुत करता हूं ।

†श्री प्रतुल चन्द्र मित्र : मैं अपना संशोधन संख्या ११ प्रस्तुत करता हूं ।

†श्री वाजपेयी : मैं अपना संशोधन संख्या १२ प्रस्तुत करता हूं ।

†श्री प्र० ना० सिंह (चन्दौली) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्पष्टीकरण को हटाने का प्रश्न है, पहले उस पर वोट लिये जाने चाहिए । यदि उसे न हटाने के पक्ष में निर्णय हो तब उस पर सीलिंग का सवाल उठता है कि वह २००० रुपया हो अथवा ५०० रुपया हो । यह नहीं होना चाहिए कि पहले सीलिंग का सवाल आ जाय ।

†डा० राज बहादुर गौड (आंध्र प्रदेश) : सब से पूर्व सभा की राय लेनी चाहिए कि स्पष्टीकरण रखा जाना उचित है अथवा नहीं । अतः इस पर पहले मतदान होना चाहिए ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह सही प्रक्रिया नहीं है । पहिले मैं संशोधनों को मतदान के लिए रखूंगा । संशोधन १० और १२ दोनों एक से हैं अतः संशोधन १२ पर मत लेना अनावश्यक है—संशोधन संख्या १० पर किया गया निर्णय उस पर भी लागू होगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १० और ११ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

†अध्यक्ष महोदय : क्या ५१ रुपये के बारे में जो संशोधन है, उसे मतदान के लिये रखा जाये ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : अब उसकी आवश्यकता नहीं ।

†अध्यक्ष महोदय : अब इस खण्ड का कोई और संशोधन नहीं है ।

†श्री कालिका सिंह (आजमगढ़) : संशोधन संख्या २८ है ।

†श्री अ० कु० सेन : वह संशोधन नियम-बाह्य है। उसके बारे में कोई मतभेद नहीं था । धार्मिक प्रयोजनों के लिये आवश्यक चीजों को "दहेज" नहीं माना गया है ।

†अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या ५ मतदान के लिये रखता हूं । यह संशोधन खंड २ की व्याख्या १ को हटाने के लिये है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५ मतदान के लिये रखा गया । मत विभाजन हुआ ; पक्ष में १९२; विपक्ष में २३० । संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

†अध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड २ को संशोधित रूप में मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने, जिस का संशोधित पाठ निम्नलिखित है:—

"2. In this Act, "dowry" means any property or valuable security given or agreed to be given either directly or indirectly—

(a) by our party to a marriage to the other party to the marriage; or

(b) by the parents of either party to a marriage or by any other person, to either party to the marriage or to any other person;

at or before or after the marriage as consideration for the marriage of the said parties, but does not include dower or *mahr* in the case of persons to whom the Muslim Personal Law (*Shariat*) applies.

Explanation I.—For the removal of doubts, it is hereby declared that any presents made at the time of a marriage to either party to the marriage in the form of cash, ornaments, clothes or other articles, shall not be deemed to be dowry within the meaning of this section, unless they are made as consideration for the marriage of the said parties.

Explanation II.—The expression "valuable security" has the same meaning as in section 30 of the Indian Penal Code.

("२. इस अधिनियम में, "दहेज" का अर्थ है, कोई भी वह सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, जो

(क) विवाह के एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को; अथवा

(ख) विवाह के किसी एक पक्ष के जनकों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी एक पक्ष को या किसी अन्य व्यक्ति को;

कथित पक्षों के विवाह के विचार से, विवाह के समय, या उस से पहले या उस के पश्चात् प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई या देने के लिये तय हुई हो; परन्तु इस में वह

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

मेहर सम्मिलित नहीं होगा जो मुस्लिम व्यक्तिगत विधि (शेरियत) लागू होने वाले व्यक्तियों के मामले में दिया जाता है।

व्याख्या १.—संदेह निवारण के लिय यहां घोषित किया जाता है कि विवाह के समय विवाह के किसी पक्ष को नकदी, आभूषणों, वस्त्रों या अन्य वस्तुओं के रूप में दिये गये किसी उपहार को, इस धारा के अर्थों में तब तक दहेज नहीं माना जायेगा जब तक कि वह कथित पक्षों के विवाह के विचार से गया हो।

व्याख्या २.—"मूल्यवान् प्रतिभूति" शब्दों का वही अर्थ लगाया जायेगा, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३० में अभिप्रेत है।)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ३, विधेयक में जोड़ दिया गया, जिसका पाठ निम्नलिखित है :—

"3. If any person, after the commencement of this Act, gives or takes or abets the giving or taking of dowry, he shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both."

("३. यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् दहेज देता या लेता या ऐसे लेन देन को अभिप्रेरित करता है, तो उसे छः महीने तक के कारावास अथवा पांच हजार रुपये तक के जुर्माने, अथवा दोनों का दण्ड दिया जा सकेगा।")

खंड ४—(दहेज मांगने के लिये दण्ड)

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम खंड ४ लेते हैं। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने, जिस का पाठ निम्नलिखित है:—

"4. If any person, after the commencement of this Act, demands, directly or indirectly from the parents or guardian of a bride or bridegroom, as the case may be, any dowry, he shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both."

("४. यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् बधू तथा वर के जनकों अथवा अभिभावकों से यथा स्थिति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी दहेज की मांग करता है, तो उसे छः महीने तक के कारावास अथवा पांच हजार रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों का दण्ड दिया जा सकेगा।")

†**श्री भूपेश गुप्त** : इस खण्ड ४ को दो भागों में मतदान के लिये रखा जाना चाहिये। इसलिये कि दोनों सभाओं में इसी खंड पर सब से पहले मतभेद खड़े हुए थे। माननीय विधि उप मंत्री द्वारा रखे गये संशोधन का प्रथम भाग लोक सभा ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन राज्य सभा उस से सहमत नहीं हुई। इसलिये खण्ड ४ का वर्तमान स्वरूप ऐसा नहीं है जिस से दोनों सभायें सहमत हों। इसलिये विधि उपमंत्री के संशोधन के लोक-सभा द्वारा स्वीकृत प्रथम पैरा को मतदान के लिये अलग से रखना चाहिये।

सारी बहस इसी बात पर है कि खण्ड ४ को लोक सभा द्वारा पारित रूप में स्वीकृत किया जाये या नहीं। खण्ड २ की ऐसी स्थिति नहीं थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस से सहमत हूं। मैं इसे दो भागों में मतदान के लिये रखूंगा।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ २ में—

खण्ड ४ के स्थान पर यह रखा जाये—

"4. If any person, after the commencement of this Act, demands, directly or indirectly, from the parents or guardian of a bride or bridegroom, as the case may be, any dowry, he shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both:

Provided that no court shall take cognizance of any offence under this section except with the previous sanction of the State Government or of such officer as the State Government may, by general or special order, specify in this behalf." (23)

("४. यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात, वधु अथवा वर के जनकों अथवा अभिभावकों से, यथा स्थिति, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, किसी दहेज की मांग करता है, तो उसे छः महीने तक के कारावास अथवा पांच हजार रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों का दण्ड दिया जा सकेगा :

परन्तु कोई भी न्यायालय राज्य सरकार की अथवा राज्य सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा इस प्रयोजन के लिये उल्लिखित अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना इस धारा के अन्तर्गत किसी भी अपराध को हस्तक्षेप नहीं मानेगा।") (२३)

श्री बाजपेयी (बलरामपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या १५ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री राम सेवक यादव** (बाराबंकी) : मैं अपना संशोधन संख्या ३१ प्रस्तुत करता हूं।

श्री गोरे : मैं अपना संशोधन संख्या ३३ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : मैं अपना संशोधन संख्या ३४ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री कालिका सिंह** : मेरा भी एक संशोधन है—संशोधन संख्या २६।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय विधि उप मंत्री के संशोधन से संबंधित संशोधनों को मैं मतदान के लिये पहले रखूंगा, उस के बाद मुख्य संशोधनों को।

श्री कालिका सिंह का संशोधन संख्या २६, विधि उपमंत्री के संशोधन में एक परन्तुक जोड़ने के लिये है। क्या मैं उसे मतदान के लिये रखूं ?

श्री प्र० ना० सिंह (चन्दौली) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री कालिका सिंह ने जो अमेंडमेंट रखा है, वह श्री हजारनवीस के अमेंडमेंट पर अमेंडमेंट नहीं है, बल्कि वह आरिजिनल बिल के क्लाज ४ की जगह पर सब्स्टीट्यूशन है। इसलिये इस को अमेंडमेंट के रूप में नहीं रखा जा सकता है।

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कहते हैं कि श्री कालिका सिंह का संशोधन श्री हजरनवीस के संशोधन का संशोधन नहीं है अपितु उस संशोधन के स्थान पर रखा जाने वाला दूसरा संशोधन है। लेकिन उस के पहले दोनों पैरा विधि उप मंत्री के संशोधन से ज्यों के त्यों लिये गये हैं, इसलिये मैं उसे स्थानापन्न संशोधन नहीं मानता ।

मैं श्री कालिका सिंह द्वारा प्रस्तावित केवल परन्तुक को मतदान के लिये रखूंगा ।

†श्री प्र० ना० सिंह : एक औचित्य प्रश्न है। मैं आप का विनिर्णय चाहता हूं। श्री कालिका सिंह ने अपना संशोधन लिखित रूप में दिया है। क्या पूर्व सूचना देने के बाद वह अपने लिखित संशोधन में परिवर्तन भी कर सकते हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : यदि संशोधन प्रस्तावित नहीं किया गया हो, तो मैं माननीय सदस्य को लिखित संशोधन के एक किसी भाग तक ही उसे सीमित करने की अनुमति दे सकता हूं। इसलिये मैं उस के केवल परन्तुक को मतदान के लिये रखूंगा ।

†श्री कालिका सिंह : मैं अपना संशोधन संख्या २९ प्रस्तुत नहीं करना चाहता।

†श्री वाजपेयी : अब वह संशोधन सभा के समक्ष प्रस्तुत है ।

†अध्यक्ष महोदय : चूंकि मैं ने उसे औपचारिक रूप में प्रस्तुत नहीं माना है, इसलिये वह सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं माना जा सकता ।

अब मैं श्री गोरे का संशोधन संख्या ३३ लेता हूं। वह चाहते हैं कि अनुमति देने की शक्ति जिला मैजिस्ट्रेटों को ही रहे ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३३ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या ३४ मतदान के लिये रखूंगा ।

†श्री अ० कु० सेन : उस पर आग्रह नहीं किया जा रहा है ।

श्री न० रा० मुनिस्वामी : मैं उस पर आग्रह नहीं करना चाहता ।

संशोधन संख्या ३४, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

†अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या १५ लेता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १५ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या ३१ लेता हूं। यह संशोधन विधि उप मंत्री के संशोधन संख्या २३ में से परन्तुक हटाने के लिये है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३१ मतदान के लिये रखा गया।

†अध्यक्ष महोदय : मैं ने मत विभाजन की संख्या गिन ली है—पक्ष में ५० मत हैं इस प्रकार यह एक बड़े बहुमत से अस्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री हजरनवीस का संशोधन संख्या २३ मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ २ में—

खण्ड ४ के स्थान पर, यह रखा जाये—

"4. If any person, after the commencement of this Act, demands, directly or indirectly, from the parents or guardian of a bride or bridegroom, as the case may be, any dowry, he shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with the fine which may extend to five thousand rupees, or with both:

Provided that no court shall take cognizance of any offence under this section except with the previous sanction of the State Government or of such officer as the State Government may, by general or special order, specify in this behalf." (23)

("४. यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात, वधू अथवा वर के जनकों अथवा अभिभावकों से यथा स्थिति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किसी दहेज की मांग करता है, तो उसे छः महीने तक के कारावास अथवा पांच हजार रुपये तक के जुर्माने, अथवा दोनों का दण्ड दिया जा सकेगा :

परन्तु कोई भी न्यायालय राज्य सरकार की अथवा राज्य सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा इस प्रयोजन के लिये उल्लिखित अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना इस धारा के अन्तर्गत किसी भी अपराध को हस्तक्षेप्य नहीं मानेगी ।") (२३)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

स्थानापन्न खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १—(संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ)

†श्री हजरनवीस : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १, पंक्ति ३ में,

"१९६०" ("१९६०") के स्थान पर,

"१९६१" ("१९६१") अंक रखे जायें । (२)

†अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

पृष्ठ १, पंक्ति ३ में,

"१९६०" ("१९६०") के स्थान पर,

"१९६१" ("१९६१") अंक रखे जायें ।" (२)

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने, जिस का पाठ निम्नलिखित है :—

Short title, extent and commencement.

'1.(1) This Act may be called the Dowry Prohibition Act, 1961.

(2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.'

(संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

'१. (१) इस अधिनियम का नाम 'दहेज निषेध अधिनियम, १९६१' रखा जाये।

(२) यह अधिनियम जम्मू तथा कश्मीर राज्य के अतिरिक्त सारे भारत में लागू हो।

(३) यह अधिनियम केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गज़ट में अधिसूचित तिथि से प्रभावी होगा।' ")

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

†श्री हजरनवीस : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १, पंक्ति १ में,

'Eleventh Year' ("ग्यारहवां वर्ष") के स्थान पर,

'Twelfth Year' ("बारहवां वर्ष") शब्द रखे जायें। (१)

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १, पंक्ति १ में,

'Eleventh Year' ("ग्यारहवां वर्ष") के स्थान पर,

'Twelfth Year' ("बारहवां वर्ष") शब्द रखे जायें। (१)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने, जिसका पाठ निम्नलिखित है :

'Be it enacted by Parliament in the Twelfth year of the Republic of India as follows:—' "

('भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में संसद् यह अधिनियमित करती है :—')"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ३, ५, ६, ७, ८, ९ और १०

†**अध्यक्ष महोदय** : अन्य खण्डों के बारे में कोई मतभेद नहीं है । इसलिये मैं सभी को एक साथ मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३, विधेयक का अंग बने, जिसका पाठ निम्नलिखित है :—

Penalty for giving or taking of dowry.

'3. If any person, after the commencement of this Act, gives or takes or abets the giving or taking of dowry, he shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.'

(दहेज देने या लेने के लिये दण्ड

'३. यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् दहेज देता अथवा लेता है अथवा उसके देन-लेन को अभिप्रेरित करता है, तो उसे छ: महीने के कारावास अथवा पांच हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों का दण्ड दिया जा सकेगा ।')

"कि खण्ड ५ विधेयक का अंग बने, जिसका पाठ निम्नलिखित है :—

Agreement for giving or taking of dowry to be void.

'5. Any agreement for the giving or taking of dowry shall be void.'

(दहेज के लेने अथवा देने का करार विधि शून्य होगा

'५. दहज लेने अथवा देने का हर करार विधि-शून्य होगा ।')

कि खण्ड ६ विधेयक का अंग बने, जिसका पाठ निम्नलिखित है :—

Dowry to be for the benefit of the wife or her heirs.

'6.(1) Where any dowry is received by any person other than the woman in connection with whose marrige it is given, that person shall transfer it to the woman—

(*a*) if the dowry was received before marriage, within one year after the date of marriage ; or

(*b*) if the dowry was received at the time of or after the marriage, within one year after the date of its receipt ; or

(*c*) if the dowry was received when the woman was a minor, within one year after she has attained the age of eighteen years ;

and pending such transfer, shall hold it in trust for the benefit of the woman.

(2) If any person fails to transfer any property as reqquired by sub-section (1) and within the time limited therfor, he shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees,

†मूल अंग्रेजी में

or with both; but such punishment shall not absolve the person from his obligation to transfer the property as required by sub-section (1).

(3) Where the woman entitled to any property under sub-section (1) dies before receiving it, the heirs of the woman shall be entitled to claim it from the person holding it for the time being.

(4) Nothing contained in this section shall affect the provisions of section 3 or section 4.'

(दहेज पत्नी अथवा उसके उत्तराधिकारियों के लाभ के लिए होगी

'६. (१) यदि दहेज उस स्त्री से, जिसके विवाह के संबंध में वह दी गई है, भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है तो वह व्यक्ति उसे—

(क) यदि दहेज विवाह के पूर्व प्राप्त हुई हो, तो विवाह की तारीख के पश्चात् एक वर्ष के अन्दर; अथवा

(ख) यदि दहेज विवाह के समय अथवा उसके पश्चात् प्राप्त हुई हो, तो उसकी प्राप्ति की तारीख के पश्चात् एक वर्ष के अन्दर; अथवा

(ग) यदि दहेज स्त्री की अवयस्कता में प्राप्त हुई हो, तो उसके अठारह वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लेने के पश्चात् एक वर्ष के अन्दर उस स्त्री को हस्तान्तरित करेगा और ऐसा हस्तान्तरण होने तक उसे स्त्री के लाभ के लिए न्यास के रूप में धारण करेगा।

(२) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (१) के अनुसार निर्धारित समय के अन्दर किसी सम्पत्ति का हस्तान्तरण नहीं कर पाता है तो उसे छै महीने तक के कारावास अथवा पांच हजार रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों का दण्ड दिया जा सकेगा, परन्तु ऐसे दण्ड से वह व्यक्ति अपने उस सम्पत्ति के उपधारा (१) के अनुसार हस्तांतरण के दायित्व से मुक्त नहीं होगा।

(३) यदि उपधारा (१) के अन्तर्गत सम्पत्ति की हकदार स्त्री उसे प्राप्त करने के पूर्व मर जाती है तो उस स्त्री के उत्तराधिकारी उसे धारण करने वाले व्यक्ति से प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(४) इस धारा की कोई भी बात धारा ३ अथवा धारा ४ के उपबन्धों को प्रभावित नहीं करेगी।')

कि खण्ड ७ विधेयक का अंग बने, जिसका पाठ निम्नलिखित है :—

Cognizance of offences

'7. Notwithstanding anything contained in the Code of Crimina Procedure, 1898,—

(*a*) no court inferior to that of a presidency magistrate or a magistrate of the first class shall try any offence under this Act;

(*b*) no court shall take cognizance of any such offence except on a complaint made within one year from the date of the offence;

(c) it shall be lawful for a presidency magistrate or a magistrate of the first class to pass any sentence authorised by this Act on any person convicted of an offence under this Act.'

(अपराधों का विचाराधिकार)

"७. दंड प्रक्रिया संहिता, १८६८ में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी,—

(क) प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से नीचे के स्तर का कोई न्यायालय इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध का फैसला नहीं करेगा;

(ख) कोई भी न्यायालय ऐसे किसी अपराध में अपराध की तारीख से एक वर्ष के अन्दर की गई शिकायत के बिना हस्तक्षेप नहीं करेगा ।

(ग) प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराये हुए किसी व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई भी दण्ड दे सकेगा ।')

कि खण्ड ८ विधेयक का अंग बने, जिसका पाठ निम्नलिखित है :—

Offences to be non-cognizable, bailable and non-compoundable.

'8. Every offence under this Act shall be non-cognizable, bailable and non-compoundable.'

(अपराध अहस्तक्षेप्य, जमानत-योग्य और अप्रशम्य होंगे

'८. इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक अपराध अहस्तक्षेप्य, जमानत-योग्य और अप्रशम्य होगा ।')

कि खण्ड ६ विधेयक का अंग बने, जिसका पाठ निम्नलिखित है :—

Power to make rules.

'9.(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made before each House of Parliament while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.'

(नियम बनाने की शक्ति

'६. (१) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति के लिये, सरकारी गजट में अधिसूचना निकाल कर, नियम बना सकेगी ।

(२) इस धारा के अधीन बनाया गया नियम, नियमन के बाद यथाशीघ्र संसद् की प्रत्येक सभा के समक्ष सत्र-काल में कुल तीस दिन की अवधि के लिये रखा जायेगा । इस अवधि में एक सत्र या लगातार दो सत्रों का काल आ सकता है। और जिस सत्र-काल में नियम रखा जाये, यदि उस सत्र की समाप्ति पर अथवा उसके बाद के सत्र के दौरान दोनों सभायें उस नियम में कोई रूपभेद करने के लिये या उसे बिलकुल हटाने के लिये सहमत हो जायें, तो वह नियम, यथास्थिति, रूपभेद किये हुए रूप में ही प्रभावी होगा अथवा, बिलकुल प्रभावी नहीं होगा, लेकिन ऐसे रूपभेद करने या रद्द किये जाने का उस नियम के अधीन पहले किये गये किसी भी कार्य की वैधानिक मान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।")

कि खण्ड १० विधेयक का अंग बने, जिसका पाठ निम्नलिखित है :—

Repeals Andhra Pradesh Act I of 1958. Bihar Act 25 of 1950.

'10. The Andhra Pradesh Dowry Prohibition Act, 1958, and the Bihar Dowry Restraint Act, 1950, are hereby repealed'. ".

निरसन १६५८ का आन्ध्र प्रदेश अधिनियम १ । १६५० का बिहार अधि-नियम २५. ।

'१०. आन्ध्र प्रदेश दहेज निषेध अधिनियम, १६५८, और बिहार दहेज प्रतिबंध अधिनियम, १६५० निरसित किये जाते हैं' ।")

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३, ५, ६, ७, ८, ६ और १० विधेयक में जोड़ दिये गये

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने,

जिसका पाठ निम्नलिखित है :—

'A Bill to prohibit the giving or taking of dowry'

---

†मूल अंग्रेजी में

('दहेज देने या लेने का निषेध करने वाला विधेयक')"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†श्री अ० कु० सेन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†अध्यक्ष महोदय : विधेयक संशोधित रूप में पारित हुआ । संयुक्त बैठक समाप्त हुई ।

इसके पश्चात् संयुक्त बैठक समाप्त हुई ।

IPND—LS.III—591 (ai) LS—10-7-61—250.

†मूल अंग्रेजी में

PLS. 41. I. 61.

125

© १९६१ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित